मुख्य मंत्री

श्री नारायण दत्त तिवारी

का

1989-90 के बजट अनुमानों

पर

NIEPA DC
D04684

बजट भाषण

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. D-4684
Date 29/6/89

वर्ष 1989–90 के बजट अनुमानों पर मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी का बजट भाषण

माननीय,

मैं आपकी अनुमति से इस अति सम्मानित सदन के सम्मुख वित्तीय वर्ष 1989-90 का बजट प्रस्तुत कर रहा हूं।

यह मेरा सौभाग्य है कि प्रेरक आदर्शों के आगार इस परम् सम्मानित सदन के समक्ष मुझे पुनः यह सुअवसर मिला है। इस गौरवशाली सदन की उज्ज्वल लोकतांत्रिक परम्परा को माननीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने 19 दिसम्बर, 1987 को उत्तर प्रदेश विधान सभा के स्वर्ण जयन्ती समारोह में इसी सभामण्डप में इस उत्प्रेरक सूत्र में परिभाषित किया था "आपकी विधान सभा देश की सबसे बड़ी विधान सभा है, आपके बड़े होने से एक खास जिम्मेदारी आप पर है क्योंकि आप जिस तरह स लोकतंत्र को चलायेंगे वही संदेश देश की दूसरी विधान सभाओं को जायेगा"। यह सदन लोकतन्त्र, समाजवाद एवं सर्वधर्म समभाव के आदर्शों का मूर्त स्वरूप रहा है, इस सदन की कार्यविधियों ने देश में संसदीय परम्पराओं की निरन्तर नये आयाम दिये हैं। हम सभी सामूहिक रूप से यहां प्रदेश की जनता की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सर्वतोमुखी प्रगति के लिये कृत संकल्प हैं।

इसी गौरवशाली सन्दर्भ में इस सदन के मुख्य सेवक व वित्त साधक के रूप में आगामी वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा चाहता हूं।

आर्थिक समीक्षा

माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि 1987–88 में प्रदेश को शताब्दी के सबसे भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा। यह संतोष की बात है और यह हमारे आर्थिक ढांचे की परिपक्वता का द्योतक है कि विषम, दुष्कर एवं प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी आय में वृद्धि हुयी। शासन ने विशेष अभियान के माध्यम से यह सुनिश्चित किया कि प्रदेश के लघु एवं सीमान्त कृषकों को प्रमाणित बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयां एवं फसली ऋण पर्याप्त मात्रा में तथा समय से उपलब्ध हो।

नवीनतम अनुमानों के अनुसार प्रचलित भावों पर प्रदेश की कुल आय 1986–87 में 28,260 करोड़ रुपये थी। वर्ष 1987–88 में प्रदेश की कुल

आय 31,636 करोड़ रुपये अनुमानित है । प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय जो 1986–87 में 2,269 रुपये थी, 1987–88 में 2,488 रुपये रही । 1980–81 के स्थायी भावों पर कुल राज्य आय 1986–87 में 18,469 करोड़ रुपये थी, जो 2.3 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1987–88 में 18,897 करोड़ रुपये हो गयी । इसके अनुरूप स्थायी भावों पर प्रति व्यक्ति राज्य आय 1986–87 में 1,483 रुपये थी जो 1987–88 में 0.2 प्रतिशत से बढ़ कर 1,486 रुपये हो गयी ।

खाद्यान्न उत्पादन 1986–87 में 302.99 लाख मीट्रिक टन हुआ । वर्ष 1987–88 के सूखे के कारण उस वर्ष खाद्यान्न उत्पादन 281.35 लाख मीट्रिक टन हुआ । वर्ष 1988–89 में खाद्यान्न उत्पादन 334 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है ।

आलू का उत्पादन 1986–87 में प्रदेश में 56.95 लाख मीट्रिक टन था जो 1987–88 में बढ़ कर 64.19 लाख मीट्रिक टन हो गया ।

गन्ने का उत्पादन 1986–87 में प्रदेश में 847.36 लाख मीट्रिक टन था, जो 1987–88 में 954.79 लाख मीट्रिक टन हो गया । वर्ष 1988–89 में अब तक का सर्वाधिक उत्पादन 991·63 लाख टन होने का अनुमान है ।

1986–87 में प्रदेश में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (1970–71=100) 347.1 था जिसके 1987–88 में 373.8 होने का अनुमान है । यह 1986–87 के सूचकांक से 7.7 प्रतिशत अधिक है । औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र में प्रदेश में चीनी, सीमेंट और वस्त्र उद्योग का परम्परागत महत्वपूर्ण स्थान रहा है ।

चीनी का उत्पादन 1986–87 में 21.04 लाख मीट्रिक टन था, जो 1987–88 में 26.06 लाख मीट्रिक टन हो गया । वर्ष 1988–89 में अब तक के सर्वाधिक चीनी का उत्पादन 27.54 लाख टन होने का अनुमान है ।

सीमेंट का उत्पादन 1986-87 में 10.49 लाख मीट्रिक टन था जो 1987–88 में बढ़ कर 11.65 लाख मीट्रिक टन हो गया । 1988–89 में अप्रैल से जून की अवधि में 3 लाख मीट्रिक टन सीमेंट का उत्पादन हुआ जो गत वर्ष इसी अवधि में उत्पादित सीमेंट की तुलना में 1.4 प्रतिशत अधिक है ।

प्रदेश में सूती धागे का उत्पादन 1986–87 में 1,284 लाख किलोग्राम था जो 1987–88 में 1,294 लाख किलोग्राम हो गया ।

इस प्रकार प्रदेश की जनता ने सर्वतोमुखी उत्पादन बढ़ाकर इस वर्ष देश की राष्ट्रीय आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया ।

वार्षिक योजना 1989–90 तथा नियोजन प्रक्रिया

माननीय सदस्य अवगत हैं कि सातवीं योजना का कुल अनुमोदित परिव्यय 11,000 करोड़ रुपया है, जिसके सापेक्ष योजना के प्रथम तीन वर्षों में लगभग 5,400 करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं । वर्ष 1988–89 की योजना 2,680 करोड़ रुपये की है । माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि केन्द्रीय योजना आयोग ने वर्ष 1989–90 के लिये 2,970 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकार किया है जो वर्ष 1988–89 के परिव्यय से 290 करोड़ रुपये अर्थात् 10.8 प्रतिशत अधिक है । इसके अन्तर्गत प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र की वर्ष 1989–90 की वार्षिक योजना का आयोजनागत परिव्यय हिमांचल प्रदेश के परिव्यय के समतुल्य 300 करोड़ रुपये रखा गया है जिसमें 170 करोड़ रुपये केन्द्रीय सहायता का अंश है । इस प्रकार सातवीं योजना का कुल व्यय अनुमोदित परिव्यय 11,000 करोड़ रुपये से अधिक होने की आशा है ।

नियोजन प्रणाली के विकेन्द्रीकरण में हमारा दृढ़ विश्वास है । योजना संरचना और उसके क्रियान्वयन में जन-प्रतिनिधियों तथा पंचायतीराज संस्थाओं की पूरी भागीदारी होनी चाहिये । इसी प्रतिबद्धता के कारण लगभग सभी पंचायती राज और स्वायत्तशासी संस्थाओं के विगत कुछ महीनों में चुनाव कराये गये हैं । मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इन संस्थाओं का एक लम्बे अन्तराल के बाद जनतांत्रिक रूप से गठन किया जा चुका है । हमें पूरा विश्वास है कि योजनाओं के लिये संसाधन जुटाने, उनकी संरचना और क्रियान्वयन में ये अपनी भूमिका पूरी सक्रियता के साथ निभायेंगी । विकेन्द्रित नियोजन का जो स्वरूप विगत् कुछ वर्षों से प्रदेश में चल रहा है उसमें जन-आकांक्षाओं और केन्द्रीय चिन्तन के अनुरूप अब कुछ मौलिक परिवर्तन करने होंगे और इन स्वशासी संस्थाओं को योजनाओं की संरचना और उनके कार्यान्वयन का और अधिक दायित्व सौंपना होगा । इस सम्बन्ध में प्रधानमंत्री जी द्वारा बुलाये गये पंचायती राज सम्मेलन की संस्तुतियों पर लिये जाने वाले निर्णयों का कार्यान्वयन भी महत्वपूर्ण होगा ।

इसी को दृष्टि में रखते हुए 1989–90 की वार्षिक योजना में जिला सेक्टर के अन्तर्गत कुल 648.93 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है । विशेष रूप से ग्राम्य विकास के मुख्य कार्यक्रमों के लिए परिव्यय निर्धारित किए गये हैं जैसे एकीकृत ग्राम्य विकास योजना (68.28 करोड़ रुपये), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (77.50 करोड़ रुपये), सूखोन्मुख क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (4.58 करोड़ रुपये) ।

ये सभी कार्यक्रम जिला ग्राम्य विकास अभिकरण क माध्यम स संचालित किय जायगे ताकि जिला, ब्लाक और ग्राम स्तर तक इन योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वियन हो सके। योजना के कार्यान्वियन को जिला स्तर तक विकेन्द्रीकृत करने की दृष्टि से ही जिला सेक्टर के अन्तर्गत लघु सिंचाई, ग्रामीण एवं लघु उद्योग, सड़क एवं पुल, शिक्षा, युवा कल्याण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा विद्युत् के लिये अलग से आयोजनागत परिव्यय निर्धारित किया गया है। आशा है कि इससे प्रदेश की योजना का कार्यान्वियन जनाकांक्षाओं के अनुरूप हो सकेगा।

सदन के सम्मानित सदस्यों को यह जानकर हर्ष होगा कि केन्द्रीय योजना आयोग ने प्रदेश की जिला योजना संरचना सम्बन्धित प्रयासों को सराहा है तथा अन्य राज्यों को इनकी रूप-रेखा से अवगत कराया है।

वर्ष 1989–90 सातवीं योजना का अन्तिम वर्ष होगा। राज्य सरकार ने आठवीं योजना (1990–95) की संरचना से सम्बन्धित प्रारम्भिक कार्य आरम्भ कर दिया है। इस योजना की संरचना में हम जन-प्रतिनिधियों, कृषकों, उद्यमियों, श्रमिकों एवं विशेषज्ञों से पूरा सहयोग प्राप्त करेंगे ताकि इस योजना से हमारे प्रदेश की जनता की समग्र आकांक्षाओं को साकार किया जा सके। मैं इस सम्बन्ध में सभी सम्मानित सदस्यों के विचारों एवं सुझावों का भी स्वागत करूंगा।

बीस सूत्रीय कार्यक्रम

प्रदेश की आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय तथा गरीबी के खिलाफ संघर्ष में बीस सूत्री कार्यक्रम अत्यन्त प्रभावकारी रहा है। माननीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को और अधिक व्यापक, उपयोगी और प्रभावशाली स्वरूप प्रदान किया है। प्रदेश शासन इस अत्यन्त महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यसूची के समयबद्ध कार्यान्वियन के लिये दृढ़ संकल्प है। बीस सूत्रीय कार्यक्रम में हमारी प्रगति आशानुरूप रही है।

वर्ष 1988–89 में माह दिसम्बर, 1988 तक वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष विभिन्न कार्यक्रमों की उपलब्धियां इस प्रकार हैं :—

सीलिंग भूमि आवंटन में 401.0 प्रतिशत, वृक्षारोपण में 104.2 प्रतिशत, उचित दर की दुकानों की स्थापना 104.0 प्रतिशत, समन्वित बाल विकास केन्द्रों की स्थापना के अन्तर्गत शत-प्रतिशत, एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के लाभार्थी 72.2 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के परिवारों को आर्थिक सहायता 69.0 प्रतिशत,

आवास स्थल आवंटन 95.0 प्रतिशत, नगरीय क्षेत्र में दुर्बल वर्ग आवास निर्माण 71.3 प्रतिशत, अल्प आय वर्ग आवास निर्माण 67.1 प्रतिशत, मलिन बस्ती सुधार 88.5 प्रतिशत।

वर्ष 1989—90 में प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 5.80 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित किया जायेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम एवं ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रमशः 663 लाख एवं 475 लाख मानव दिवस अतिरिक्त रोजगार का सृजन किया जायेगा तथा 24,000 लघु उद्योग इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले 3.52 लाख अनुसूचित जाति तथा 700 अनुसूचित जन-जाति के परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। इन सभी कार्यक्रमों के कार्यान्वियन में सभी स्तर पर नव निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों के सहयोग से गुणात्मक सुधार पर विशेष बल दिया जायेगा।

बीस सूत्रीय कार्यक्रम एक ऐसा आन्दोलन है जिसका महत्व दलीय राजनीति से परे है। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्यगण जनता के इस आर्थिक-सामाजिक उन्नयन के कार्यक्रम में सरकार को अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान करते रहेंगे।

नवीन कल्याणकारी योजनाएं

लोक कल्याण की भावना से उत्प्रेरित होकर समस्त संसाधनों को मितव्ययिता-पूर्वक एकजुट करके शासन सम्यक् दृष्टि से प्रदेश में सर्वत्र समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिये प्रयत्नरत है। श्रीमद्भगवद्गीता में आह्वान किया गया है :—

सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः।
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः॥

तथापि हमारे इन प्रयासों का विशेष केन्द्र बिन्दु समाज के पिछड़े व निर्बल वर्ग हैं। हमारी पार्टी तथा सरकार ने समाज के उपेक्षित एवं निर्बल वर्गों के उत्थान कार्यक्रमों को सदैव शीर्ष प्राथमिकता के रूप में लिया है। वर्ष 1988 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपने अधिवेशन में जो आर्थिक प्रस्ताव पास किया है वह हमारी इस महत्वपूर्ण प्राथमिकता को उजागर करता है। हमें इन समाजवादी कार्यक्रमों से मुझे उत्साह से समता, सम्पन्नता व विकास के समान अवसरों पर आधारित लोकतांत्रिक, आर्थिक व सामाजिक ढांचा निर्मित करना है।

यह सुनिश्चित करने के लिये कि जिला प्रशासन इकाई जनता के लिये चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन तथा अनुश्रवण जन-आकांक्षाओं के अनुरूप सुचारु रूप से कर सकें, राज्य सरकार ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से पांच नये जिले बनाने का निर्णय लिया। इनमें से चार नये जिले, मऊ, हरिद्वार, सिद्धार्थ नगर व फिरोजाबाद गठित किये जा चुके हैं। कानपुर मण्डल के सृजन के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय का कार्यान्वयन किया जा चुका है तथा दो नये मण्डलों का सृजन भी प्रस्तावित है। सोनभद्र जनपद का गठन भी आसन्न है। प्रदेश के कतिपय स्थानों से नये जिलों/तहसीलों आदि के गठन की मांगें आती रही हैं। इन सभी सुझावों को परीक्षण व संस्तुति के लिये अध्यक्ष, बोर्ड आफ रेवेन्यू की अध्यक्षता में गठित एक समिति को सन्दर्भित किया जा रहा है।

चालू योजनाओं की जानकारी सम्मानित सदस्यों को पहले से ही है। मैं अब माननीय सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि आगामी वित्तीय वर्ष में इस दिशा में हमारी क्या योजनायें हैं और हम क्या कदम उठाने जा रहे हैं।

कक्षा 8 तक बालकों की शिक्षा निःशुल्क

प्रदेश में कक्षा–6 तक बालकों की शिक्षा पहले से ही निःशुल्क है। मुझे सम्मानित सदन को सूचित करते हुए हर्ष होता है कि भारत के संविधान की मंशा के अनुरूप अब राज्य सरकार ने मिडिल स्तर पर कक्षा–7 व 8 तक के बालकों को भी निःशुल्क शिक्षा दिए जाने का निर्णय लिया है। इससे प्रदेश के लगभग 20,000 विद्यालयों के 13.77 लाख बालकों के परिवार लाभान्वित होंगे। इस हेतु राज्य सरकार ने लगभग 5.60 करोड़ रुपये का वार्षिक व्यय-भार वहन करना स्वीकार किया है। प्रदेश के लाखों किसान, मजदूर, अनुसूचित जाति व निर्बल वर्ग के बालक इस निर्णय से लाभान्वित होंगे।

छात्र कल्याण कार्यक्रम

छात्र हमारे समाज का वह गतिशील अंग है, जिस पर उज्ज्वल भविष्य की हमारी आशायें केन्द्रित हैं। छात्र कल्याण कार्यक्रमों को गति प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश छात्र कल्याण निधि की वर्तमान 5.00 करोड़ रुपये की धनराशि को बढ़ाकर 10.00 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव 1989–90 के लिये आय-व्ययक में शामिल है।

सभी प्राइमरी स्कूलों के अपने भवन

प्रदेश के अभी लगभग 12,500 ऐसे प्राइमरी स्कूल हैं, जिनके अपने भवन नहीं हैं। माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि वित्त आयोग के महत्वपूर्ण योगदान से हमने आगामी वर्ष इन सभी स्कूलों के भवन निर्माण का निर्णय लिया है। इस कार्य में ग्राम सभाओं का पूरा योगदान लिया जाना प्रस्तावित है।

युवा रोजगार कार्यक्रम

प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करना सम्भव करने के लिये एक नये कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कूलों और कालेजों तथा तकनीकी संस्थाओं के छात्रों को स्व-रोजगार के लिये तैयार करने पर विशेष बल दिया जायेगा। इसके माध्यम से यह भी सुनिश्चित किया जायगा कि शिक्षा संस्थायें तटस्थ सदृश्य न रह कर युवा पीढ़ी के गुणात्मक सुधार में सक्रिय भागीदार बनें। इस प्रकार रोजगार ढूंढ़ने वाले युवा स्वयं रोजगार देने वाले बनेंगे। इस प्रक्रिया में वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, जिला उद्योग केन्द्रों व इंजीनियरिंग कालेजों, खादी बोर्ड तथा ऐसी ही अन्य संस्थाओं को सक्रिय रूप से सम्बद्ध किया जायेगा। इस योजना से युवाओं में आत्म-विश्वास तथा उद्यम के गुणों का विकास होगा। इस नये कार्यक्रम के लिये बजट में तीन करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सन् 1984-85 से चल रही नगरीय रोजगार योजना व ग्रामीण युवकों के लिए चल रही ट्राइसम योजना को नयी गति दी जायेगी व उद्यम भावना व प्रोजेक्ट निर्माण के लिए प्रशिक्षण सघन रूप से दिया जायेगा।

कृषि स्नातकों का रोजगार कार्यक्रम

राज्य सरकार ने एक नई योजना के अधीन बेरोजगार कृषि स्नातकों को उर्वरकों का खुदरा (रिटेल) व्यवसाय करने की सुविधा दिये जाने का निर्णय लिया है जिसके अन्तर्गत विभिन्न फर्मों से कीट-नाशक एवं बीज की डीलर-शिप दिलाने में मदद की जायेगी। इस प्रयोजन हेतु 2 मीट्रिक टन उर्वरक भण्डारण के स्थान पर 10 मीट्रिक टन का भण्डारण लाइसेंस से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है। इस कार्यक्रम के फलस्वरूप जहां एक ओर बेरोजगार कृषि स्नातकों को लाभ प्राप्त होगा वहीं दूसरी ओर कृषकों को उर्वरकों के साथ-साथ कीटनाशक व बीज भी अधिक सुगमता से उपलब्ध हो सकेंगे।

मजदूरी में वृद्धि

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1989–90 से प्रति जोड़ा जनता धोती / साड़ी पर बुनकरों की मजदूरी 12 रुपये से बढ़ाकर 15 रुपये करने का भी निर्णय लिया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत दैनिक मजदूरी 13.50 रुपये को बढ़ाकर 18.00 रुपये करने का भी राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है।

समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण हेतु बीमा योजना

प्रदेश सरकार द्वारा निर्बल वर्ग जैसे खेतिहर मजदूरों, रिक्शा चालकों, आटो रिक्शा चलाने वाले, हथकरघा बुनकर, निजी ड्राइवरों, इक्के तांगे वालों, दस्तकारों, वन विभाग के श्रमिकों आदि के लिये भी कल्याणकारी सामाजिक सुरक्षा योजनायें क्रियान्वित किय जाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके फलस्वरूप लगभग एक लाख अतिरिक्त व्यक्ति लाभान्वित हो सकेंगे।

इन योजनाओं के अतिरिक्त प्रदेश में पूर्व से कार्यान्वित किये जा रहे कमजोर वर्गों के कल्याण हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम तथा उसकी सहायक बीमा कम्पनियों के सहयोग से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा, सामूहिक बीमा योजनायें भी चलती रहेंगी। इसमें प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन खेतिहर श्रमिकों की सामूहिक बीमा योजना, एकीकृत ग्राम्य विकास योजना में वित्तपोषित लाभार्थियों की बीमा योजना, निर्धन परिवारों के लिये व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, ग्रामीण क्षेत्र में अति निर्धन परिवारों हेतु कुटीर बीमा योजना तथा कृषि उपकरणों के प्रयोग के दौरान मृत्यु हो जाने की दशा में कृषकों, खेतिहर श्रमिकों, मण्डी मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा योजना आदि विशेष हैं।

खेतिहर मजदूरों, किसानों के विभिन्न इंगित वर्गों के जीवन बीमे के लिये गांव सभाओं, विक स खण्डों एवं जिला परिषदों तथा रिक्शा चालकों व दैनिक शहरी मजदूरी में लगे श्रमिकों, बुनकरों व छीपी भाइयों, विभिन्न श्रेणी के दस्तकारों आदि के लिये जीवन बीमा योजन ओं को संचालित करने में स्थानीय निकायों का विशेष सहयोग लिया ज येगा।

मछुआ समुदाय के व्यक्तियों के लिय मछुआ सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना भी प्रदेश में चल रही है जिससे कि दुर्घटना में मृत्यु एवं अपंग होने की दशा में उनके आश्रितों

को आर्थिक सहायता मिल सके। इस योजना के अन्तर्गत लगभग 24,222 मछुए जो मत्स्य सहकारी समितियों के सदस्य हैं, पूर्व में ही आच्छादित किये जा चुके हैं। 1989–90 में मछुआ सहकारी समितियों के अन्य सदस्यों को आच्छादित कर कुल 26,000 मछुओं को दुर्घटना बीमा सुरक्षा प्रदान की जायेगी।

किसानों, मजदूरों, अनुसूचित जाति, अल्प-संख्यक वर्ग आदि के अन्तर्गत मेहनतकश वर्गों के लिये चलाई गई इन तमाम बीमा योजनाओं को समन्वित ढंग से लागू करने व कार्यक्रमों में तेजी लाने के लिये एक "सर्वहित बीमा अभियान निदेशालय" का गठन किया जायेगा।

विधवाओं एवं वृद्धों के लिये पेंशन योजनायें

माननीय सदस्य अवगत हैं कि इस समय प्रदेश में विधवाओं तथा वृद्धों को 60 रुपये मासिक पेंशन मिल रही है। माननीय सदस्यों के द्वारा समय-समय पर दिये गये सुझावों को ध्यान में रखते हुए मुझे सदन को अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि उक्त योजनाओं के अन्तर्गत 1989–90 में 15.00 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की जा रही है जिससे प्रदेश के लगभग एक लाख अतिरिक्त विधवायें एवं लगभग एक लाख अतिरिक्त वृद्ध लाभान्वित होंगे। इन अतिरिक्त पेंशनों की स्वीकृति में प्राथमिकता खेतिहर मजदूर परिवारों एवं शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों के वृद्धों एवं विधवाओं को दी जायेगी।

दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं की सहायता

वर्ष 1989–90 से एक नई योजना के द्वारा दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं को भरण-पोषण हेतु आर्थिक सहायता तथा कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जायगी।

निर्बल वर्ग ग्रामीण आवासीय योजना

प्रदेश के लाखों बेघर हरिजन/आदिवासी व मेहनतकश वर्ग के परिवारों के लिये एक विशाल आवास योजना गांधी जयन्ती दिवस 1988 से प्रदेश में पहली बार पूरी गति से प्रारम्भ की गई है। जहां पिछले दशक में मार्च, 1988 तक पहले से चल रही योजनाओं के अन्तर्गत कुल मिलाकर 2 लाख 38 हजार निर्बल वर्ग आवासों का निर्माण हुआ था, वहां नई परिवर्तनकारी योजना के अन्तर्गत इन्दिरा आवास योजना के तहत निर्मित भवनों को मिलाकर एक वर्ष में ही 2 लाख 50 हजार आवास बनाये जा रहे हैं। यह प्रदेश व्यापी निर्माण अभियान इस समय जोरों से चल रहा है।

इस योजना के अन्तर्गत चयनित परिवारों को मैदानी क्षेत्र के लिये 6,000 रुपये की सहायता दी जा रही है, जिसमें 4,000 रुपये अनुदान तथा 2,000 रुपये ऋण के रूप में दिया जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्र में अनुदान की राशि 5,800 रुपये तथा ऋण की राशि 2,000 रुपये है। माननीय सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी कि इस गतिशील योजना के अन्तर्गत 1989–90 में तीन लाख आवास बनाये जाने का लक्ष्य रखा जा रहा है। इस अभियान में ग्राम सभाओं व विकास खण्डों का पूरा सहयोग अपेक्षित है।

कुटीर ज्योति योजना

वर्तमान वित्तीय वर्ष के केन्द्रीय बजट के अनुरूप 1989–90 में राज्य सरकार द्वारा कुटीर ज्योति योजना को गति दी जायेगी जिसके अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वालों के घरों को विद्युत् प्रकाश से आलोकित करने के लिये 2.62 करोड़ रुपये के प्राविधान से 2.16 लाख विद्युत् कनेक्शन उपलब्ध कराये जायेंगे। इन कनेक्शनों के लिये कोई धरोहर धनराशि नहीं ली जायेगी। इसमें कच्चे अथवा पक्के घरों में 40 वाट का एक विद्युत् बल्ब दिया जायेगा। मासिक बिजली का व्यय मात्र 7.50 रुपये होगा।

लघु/सीमान्त कृषकों की भूमि संरक्षण कार्य-लागत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना

शासन ने यह भी निर्णय लिया है कि प्रदेश के लघु एवं सीमान्त किसानों को उनकी निजी भूमि पर भूमि संरक्षण के सम्पादित कार्य की लागत पूर्ण रूप से राज्य सरकार द्वारा वहन की जाये यद्यपि इससे राज्य सरकार को राजस्व में लगभग 2 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की कमी होगी। इससे प्रति वर्ष भूमि क्षरण की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित गांवों के लगभग साठ हजार कृषकों को सीधा लाभ पहुंचेगा।

कृषि यंत्र योजना

वर्ष 1989–90 में किसानों को कृषि यंत्र एवं कृषि रक्षा उपकरण उपलब्ध कराने के लिये एक नई योजना प्रारम्भ की जा रही है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड में 500 कृषक परिवार तथा कुल मिलाकर करीब 4.5 लाख कृषक परिवार लाभान्वित होंगे। ऐसे प्रत्येक किसान परिवार को कृषि यंत्र तथा कृषि रक्षा उपकरण के क्रय पर 50 प्रतिशत अनुदान 500 रुपये की अधिकतम सीमा तक दिया जायेगा।

औद्यानिकी तथा फल उपयोग विभाग का गठन

सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि केन्द्र द्वारा गांवों के उत्पादों को प्रोत्साहित करने हेतु एक नये विभाग के गठन को ध्यान में रखते हुए हमने बागवानी तथा कृषि पर आधारित उद्योगों के बढ़ते महत्व के सन्दर्भ में प्रदेश के फलोत्पादकों के लिये उनके उत्पादों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने हेतु कृषि विभाग से अलग एक औद्यानिकी एवं कृषि उद्योग विभाग के गठन का निर्णय लिया है। इस विभाग के गठन से प्रदेश के हार्टिकल्चर (औद्यानिकी) का कार्य बढ़ेगा व कृषि उत्पादों एवं फलों पर आधारित कृषि उद्योगों को स्थापना को बढ़ावा मिलेगा।

ऊसर भूमि उपचार की नई योजना

प्रदेश में ऊसर की 12 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि है। इसका बड़ा भाग भूमिहीन अथवा लघु / सीमान्त कृषकों को आवंटित है अथवा गांव सभा की भूमि है जिसके उपचार हेतु आवंटियों के पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं और न ही ऋण लेकर उपचार करने की क्षमता है। इस श्रेणी के कृषकों की समस्याओं को विशेष रूप से दृष्टिगत रखते हुए 2.75 लाख हेक्टेयर ऊसर क्षेत्र उपचारित करने की वृहद् योजना बनाकर भारत सरकार की स्वीकृति के लिये प्रेषित की गई है। इस योजना के अन्तर्गत 1989–90 में 25,000 हेक्टेयर एवं आगामी वर्षों में 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र आठवीं योजना के प्रत्येक वर्ष में उपचारित करने का प्रस्ताव है।

वर्ष 1989–90 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना 41.75 करोड़ रुपये की लागत से आरम्भ करने का प्रस्ताव है। पूरे योजनाकाल के लिये चलाई जाने वाली इस ऊसर भूमि क्रान्ति योजना द्वारा 755 करोड़ रुपये की लागत से 6 वर्षों में 2.47 लाख कृषक लाभान्वित किये जायेंगे।

इस विशाल किसान हितकारी योजना के कार्यान्वयन में 11 करोड़ मानव दिवस सृजित होंगे। उपचारित भूमि पर कृषि कार्य में 5.5 करोड़ मानव दिवस प्रतिवर्ष सृजित हो सकेंगे।

इन योजनाओं में सर्वोदय व खादी जगत के रचनात्मक संगठनों व युवक तथा महिला मंगल दलों एवं अन्य स्वयंसेवी संगठनों का पूरा सहयोग लिया जायेगा।

अप हिल इलेक्ट्रानिक निगम का पृथकीकरण

इलेक्ट्रानिक उद्योगों की महत्ता को देखते हुए शासन ने इलेक्ट्रानिक पर आधारित उद्योगों के समग्र विकास के लिये पहले ही अपट्रान तथा अप हिल इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन

का गठन किया था। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र जहां ऐसे उद्योगों के लिए प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध हैं और इलेक्ट्रानिक उद्योगों के विकास की तमाम सम्भावनायें हैं शासन ने निर्णय लिया है कि अप हिल इलेक्ट्रानिक को अपट्रान से अलग निगम बनाया जाय। पर्वतीय क्षेत्र जहां वन संरक्षण आदि को ध्यान में रखते हुए बड़े व मझोले उद्योगों को स्थापित नहीं किया जा सकता है वहां इलेक्ट्रानिक आधारित इकाइयों की स्थापना से औद्योगिकीकरण करना सम्भव होगा।

पूर्वाञ्चल में नोएडा के समान औद्योगिक अथारिटी

नोएडा की महत्ता एवं उसकी ख्याति को देखते हुए प्रदेश के पूर्वाञ्चल म भी शासन ने गोरखपुर (सहजनवां) तथा जौनपुर जनपद में नोएडा के अनुरूप दो औद्योगिक आस्थान आठवीं योजना म स्थापित किए जाने का निर्णय लिया है। प्रदेश के पूर्वाञ्चल को औद्योगिकीकरण की दिशा प्रदान करने का यह एक सार्थक प्रयास होगा।

आठवीं योजना काल में कुल मिलाकर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में केन्द्र की सहायता से 8 स्थानों पर औद्योगिक ग्रोथ सेण्टर खोले जायेंगे। इससे प्रदेश के पिछड़े इलाकों में औद्योगिकीकरण का वातावरण तैयार हो सकेगा।

प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु 10 करोड़ रुपये की एक "उद्यमिता निधि" (वेन्चर फण्ड) के निर्माण का प्रस्ताव है। इसमें 25 प्रतिशत पूंजी यानि 2.50 करोड़ रुपये राज्य सरकार का अंशदान तथा शेष धनराशि केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से प्राप्त की जायगी। इस नये विनियोजन से प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने में सहायता मिलेगी।

व्यापार मित्र

शासन ने तय किया है कि प्रदेश का व्यापारी वर्ग जो समाज का एक अभिन्न अंग है, के साथ अधिक समन्वय स्थापित किया जाय। इससे एक ओर राज्य का व्यापार तो बढ़ेगा ही, साथ ही दूसरी ओर व्यापारियों की कठिनाइयों को यथा सम्भव दूर किया जा सकेगा। इस उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के व्यापारियों के प्रतिनिधियों एवं शासन के सदस्यों की एक हाई पावर कमेटी "व्यापार मित्र" का गठन किया गया है। इसके पदेन अध्यक्ष मुख्य मंत्री हैं। इससे व्यापारियों को खाद्य एवं आवश्यक वस्तुओं के प्रति वर्ष लाइसेन्सों के नवीनीकरण के स्थान पर पांच वर्ष में नवीनीकरण, एकमुश्त पांच वर्ष की लाइसेंस फीस जमा कर पुराने लाइसेंसों का नवीनीकरण तथा कम्पोजिट लाइसेंसिंग आदि की सुविधा के आदेश किये जा चुके हैं।

पत्रकार कल्याण

आपदाग्रस्त पत्रकारों व उनके परिवारों को और अधिक आर्थिक सहायत प्रदान करने के उद्देश्य से "पत्रकार कल्याण कोष" में अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था भी 1989–90 में की जा रही है। केन्द्र सरकार की तत्सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट पर निर्णय के आधार पर श्रमजीवी पत्रकारों की पेंशन सम्बन्धी व्यवस्था भी इस वर्ष किये जाने की पूरी सम्भावना है।

प्रदेश सरकार इस संदर्भ में श्रमजीवी पत्रकार संगठनों एवं समाचार-पत्रों के प्रबन्ध मण्डलों से भी आवश्यकतानुसार परामर्श करेगी।

पर्वतीय विकास

माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए 260 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत था। राज्य सरकार के विशेष प्रयासों से भारत सरकार से 10.50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता अनुमन्य की गई है। 1989–90 के लिए आयोजनागत परिव्यय में 300 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं, जिसमें 170 करोड़ रुपये विशेष केन्द्रीय सहायता सम्मिलित है।

पर्वतीय क्षेत्र की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए इलेक्ट्रानिक उद्योग को विशेष रूप से बढ़ाये जाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसके लिए सात इलेक्ट्रानिक उद्योग आस्थान, दो इलेक्ट्रानिक्स प्रशिक्षण एवं विकास केन्द्र तथा नई टेहरी में टी0 वी0 फैक्ट्री स्थापित की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता समितियों के माध्यम से इलेक्ट्रानिक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जायेगी।

पर्वतीय क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा आर्थिक विकास हेतु वस्त्र, शिल्प, जड़ी-बूटी, इलेक्ट्रानिक्स लघु उद्योगों के समन्वित विकास के लिए एक आयोग गठित किया गया है, जिसके अन्तर्गत एक लघु एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय की स्थापना की जा रही है। इसका मुख्य कार्यालय श्रीनगर (गढ़वाल) में एवं एक उप-कार्यालय अल्मोड़ा में खोला जायेगा।

माननीय सदस्यगण अवगत ही हैं कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा इस प्रदेश में दिया गया है और इसके लिए पर्वतीय क्षेत्र में ऋण उपादान योजना चालू की गई है, जिसके अन्तर्गत ऋण की सीमा 50 हजार रुपये से 2.50 लाख रुपये कर दी गई है। तीर्थ यात्रियों को यात्रा मार्ग पर सुविधा सुलभ कराये जाने के उद्देश्य से "यात्रा

प्रशासन" का संगठन किया गया है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए शीतकालीन क्रीड़ा-केन्द्र औली, जनपद चमोली में स्थापित किया गया है। इसमें वर्ष 1989-90 में रोपवे तथा लिफ्ट का कार्य पूरा किया जायेगा।

जनपद द्वारा जो योजनाएं बनायी जा रही हैं वह व्यवहारिक हों, तथ्यों पर आधारित हों और क्षेत्र विशेष के लिए लाभकारी हों, इसके लिए कुमायूं और गढ़वाल में दो क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किये जा रहे हैं, जिनमें रिसर्च की सुविधा तथा तकनीकी सपोर्ट उपलब्ध रहेगा।

ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत 528 ग्रामों में एवं त्वरित ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत 122 ग्रामों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। पारम्परिक योजना के माध्यम से पर्वतीय क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना सम्भव न होगा। अतः यह निर्णय लिया गया है कि टेक्नोलाजी मिशन की सहायता से पर्वतीय क्षेत्र में गैर-पारम्परिक योजनाओं द्वारा वर्षा जल का संग्रह एवं संरक्षण, जलाशयों का निर्माण, भू-छेदन के माध्यम से अधिक से अधिक ग्रामों को लाभान्वित किया जायेगा।

विश्व बैंक से वित्त पोषण हेतु 100.26 करोड़ रुपये की बागवानी विकास परियोजना की संरचना की गई है। पर्वतीय क्षेत्र के फलोत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाने हेतु मूल्य समर्थन योजना भी प्रारम्भ की गई है। औद्यानिक विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से भूमि विकास बैंक तथा व्यवसायिक बैंकों से यथेष्ट ऋण की व्यवस्था की जा रही है और बैंक की ब्याज दरों को राज्य सहायता द्वारा कम करके किसानों पर ब्याज का भार घटाया जायेगा।

भूमि एवं जल संरक्षण कार्यक्रम में 8,000 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र के उपचार तथा वन विभाग की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लगभग 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वनीकरण एवं चारागाह विकास कार्यक्रम का लक्ष्य है। वानिकी विकास कार्यक्रम में औद्योगिक महत्व तथा शीघ्र उगने वाली प्रजातियों के वृक्षारोपण के अन्तर्गत 7.86 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र लाने का लक्ष्य है। जलागम प्रबन्ध परियोजना के अन्तर्गत कार्यक्रमों के विस्तार के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय सहायता से वित्त पोषण हेतु निम्न परियोजनायें भी क्रियान्वित की जानी प्रस्तावित हैं :—

1—दक्षिण भागीरथी, फेज—2, जलागम प्रबन्ध परियोजना,

2—वन पंचायत वनीकरण परियोजना,

3—अगलार नदी घाटी जलागम प्रबन्ध परियोजना,

4—भीमताल जलागम प्रबन्ध परियोजना,

5—बेनालगाड़ जलागम प्रबन्ध परियोजना,

6—कूचगाड़ जलागम प्रबन्ध परियोजना,

7—दून घाटी परियोजना ।

कुमायूं एवं गढ़वाल मण्डलों में इंजीनियरिंग कालेज की आवश्यकता एक अरसे से महसूस की जा रही थी । द्वाराहाट, जनपद अल्मोड़ा व घुड़दौड़ी, जनपद पौड़ी में इंजीनियरिंग कालेजों के भूमि एवं भवन के निर्माणार्थ स्वीकृति दी जा चुकी है जिनमें प्रवेश वर्ष 1990 तक प्रारम्भ हो सकेगा ।

विगत समय से यह महसूस किया जा रहा है कि समुचित संचार व्यवस्था की कमी के कारण पर्वतीय क्षेत्र के विकास में वांछित गति नहीं आ पा रही है । अतः इसके सुदृढ़ीकरण के लिए दूर संचार एवं उपग्रह के माध्यम से एक संचार व्यवस्था बनाने का कार्यक्रम तैयार किया गया है जिससे पर्वतीय क्षेत्र के लगभग 60 स्थानों को लखनऊ एवं देहली से सीधा जोड़ा जायेगा । इस योजना पर कार्यान्वियन का कार्य इसी वर्ष किया जायेगा ।

कृषि

माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम दो वर्षों 1988–89 व 1989–90 के लिये कृषि विकास की दर को तेज करने का आह्वान किया गया है । इस हेतु देश में विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है । इस कार्य के लिये देश के 169 जनपदों का चयन किया गया जिसमें प्रदेश के 38 जनपद लिये गये हैं । इस योजना के अन्तर्गत खरीफ में चावल के लिये 24, मक्का के लिये 9, अरहर के लिये 6 जनपदों का एवं रबी में गेहूं के लिये 24 तथा चना के लिये 5 जनपदों का चयन किया गया है ।

कृषकों को एक ही स्थान पर सभी निवेशों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से "सिंगिल–विण्डो सिस्टम" का प्रारम्भ प्रथम बार किया गया । अब तक कृषि विभाग के 953 कृषि रक्षा केन्द्रों से ही कृषि रक्षा रसायन का विक्रय होता था जिसके स्थान पर अब 2,035 केन्द्रों से इन रसायनों का वितरण कराया जायेगा ।

उर्वरक वितरण के अन्तर्गत वर्ष 1988–89 म 21.5 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस वर्ष खरीफ 1988–89 के लिये 8 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित करते हुए 8.76 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का वितरण किया गया जो प्रदेश का एक कीर्तिमान है। इस हेतु कई विशिष्ट कदम उठाए गये हैं।

तिलहन उत्पादन कार्यक्रम को एक नई दिशा दी जायेगी तथा सूरजमुखी के उत्पादन को बढ़ाने हेतु जायद के सम्बन्ध में एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम बनाया गया है और इसके साथ ही मिश्रित–फसल प्रणाली का विस्तार करने का कार्यक्रम भी है।

सोयाबीन कार्यक्रम का बुन्देलखण्ड में विस्तार किया जायेगा तथा पर्वतीय क्षेत्र में भी इसके विस्तार के और अधिक प्रयास किये जायेंगे।

विश्व बैंक पोषित नलकूप योजना के अन्तर्गत जल के बेहतर प्रयोग हेतु स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति का विस्तार किया जायगा।

कृषि विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा बनाये जाने वाले कृषि यंत्रों के प्रोटोटाइप्स के परीक्षण हेतु यू0पी0 एग्रो की तालकटोरा स्थित वर्कशाप में एक यंत्र परीक्षण केन्द्र सामान्य सुविधा सेवा के तौर पर स्थापित किया जायेगा। इस केन्द्र में परीक्षण के आधार पर यंत्रों का विकास कार्यक्रम बनाया जायेगा। यह परीक्षण केन्द्र कृषि मैकेनिकों के प्रशिक्षण भी आयोजित करायेगा।

हमने यह भी निर्णय लिया है कि भूमि संरक्षण कार्य समन्वित व एकीकृत ढंग से माइक्रोवाटर शेड आधार पर कराया जाय।

मण्डियों में विपणन की अद्यतन सूचना उपलब्ध कराने के लिये प्रत्येक नवीन मण्डी स्थल एवं निर्मित किये जा रहे स्थलों और उप-स्थलों में पब्लिक काल आफिस तथा जनपद / मण्डल स्तरीय मण्डियों में टेलेक्स की उपलब्धता कराई जायेगी।

प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिये विकास खण्ड एवं न्याय पंचायत स्तर पर सूक्ष्म नियोजन (माइक्रो प्लानिंग) की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। इसके अन्तर्गत पिछड़े विकास खण्डों एवं न्याय पंचायतों को चिह्नित करते हुए शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों को मुख्य रूप से उन जगहों पर प्रभावी रूप से लागू करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उर्वरक, प्रमाणीकृत बीज, कृषि रक्षा यंत्र एवं कृषि रसायनों आदि की आपूर्ति भी विकास खण्ड एवं न्याय पंचायत स्तर पर सूक्ष्म नियोजन के तहत की जानी प्रस्तावित है।

मत्स्य

प्रदेश स्तर पर मत्स्य पालकों को तालाबों में मत्स्य उत्पादन का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से सघन मत्स्य पालन प्रदर्शन की एक नई योजना वर्ष 1989–90 से लागू की जा रही है। यह योजना "प्रयोगशाला से तालाबों तक" कार्यक्रम के अन्तर्गत एक नया प्रयास है जिससे कि मत्स्य पालक इन तालाबों में मत्स्य पालन प्रदर्शनों को देखकर मत्स्य उत्पादन के स्तर बढ़ाने की तकनीक में दक्ष हो सकेंगे। इस योजना के अन्तर्गत मैदानी क्षेत्र के प्रत्येक जनपद में एक तालाब की दर से प्रदर्शन तालाब विकसित किये जायेंगे।

राष्ट्रीय कल्याण योजना के अन्तर्गत मत्स्य पालकों के लिये आवास बनाने की योजना भी प्रदेश में चलाई जा रही है। 1988–89 के अन्त तक योजना के अन्तर्गत 200 आवासीय भवन तथा दो सामुदायिक भवनों का निर्माण मछुआ बाहुल्य क्षेत्रों में कराया जायेगा। वर्ष 1989–90 में 300 आवासीय भवन बनाया जाना प्रस्तावित है। कुल मिलाकर योजना-काल में दस हजार मत्स्य पालकों के लिए आवास बनाए जायेंगे।

वन्य जीवन

वन्य जीवन का हमारे जैविक-क्षेत्र (बायोस्फियर) के जैव-सन्तुलन में विशेष महत्व है। प्रदेश शासन वन्य जन्तुओं के परिरक्षण हेतु अत्यन्त जागरूक है। इस समय प्रदेश में 4 राष्ट्रीय पार्क तथा 20 वन विहार हैं। नेहरू जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में जनपद गोण्डा में सुहेलवा वन पशु विहार एवं जनपद अल्मोड़ा में विनसर पशु विहार 1988–89 में स्थापित किया गया है। आगामी वर्षों में भी नये पशु विहारों की स्थापना करने का प्रस्ताव है। जनता को वनस्पति, पर्यावरण एवं परिस्थितिकी के प्रति अधिक से अधिक जागरूक बनाने के लिये रायबरेली में स्व0 इन्दिरा गांधी स्मारक वनस्पति उद्यान की स्थापना का शुभारम्भ माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा दिनांक 22 नवम्बर, 1988 को किया जा चुका है। यह योजना आगामी वर्षों में भी चालू रहेगी।

खाद्य तथा रसद

प्रदेश में जन वितरण प्रणाली को और प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से उचित दर की दुकानों में उत्तरोत्तर वृद्धि की जा रही है और दुर्गम एवं पिछड़े क्षेत्रों में अधिक संख्या में उचित दर की दुकानें खोली जा रही हैं ताकि इनका अपेक्षित लाभ इस क्षेत्र में रहने वाले उपभोक्ताओं को प्राप्त हो सके। पर्वतीय क्षेत्रों में खाद्यान्नों पर "हिल

ट्रान्सपोर्ट सब्सिडी योजना" भारत सरकार से लागू करने के लिये राज्य शासन सतत् प्रयत्नशील है ताकि इन क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं को सस्ते दर पर खाद्यान्न प्राप्त हो सके। खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा निर्गत किये जाने वाले लाइसेन्सों की अवधि एक वर्ष के स्थान पर पांच वर्ष कर दी गई है जिससे अनेकों व्यवहारिक एवं प्रशासनिक कठिनाइयों का स्वतः समाधान हो गया है।

प्रदेश में जनता को खाद्यान्न एवं चीनी तथा अन्य आवश्यक वस्तुयें उपलब्ध कराने के लिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत नवम्बर, 1988 तक 44,394 दुकानें कार्यरत हैं, जिनमें छात्रावासों/विद्यालयों में चल रही 79 दुकानें तथा औद्योगिक क्षेत्रों में 277 दुकानें सम्मिलित हैं, इसके अतिरिक्त 63 सचल दुकानें भी विभिन्न जनपदों में कार्यरत हैं। वर्ष 1987–88 में 2,000 दुकानें खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके विरुद्ध 4,576 दुकानें खोली गईं। वर्ष 1988–89 में भी 2,000 दुकानें खोलनें का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विपरीत नवम्बर, 1988 तक कुल 1,939 दुकानें खोली जा चुकी हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्नों एव आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता की समीक्षा हेतु न्याय पंचायत तथा विकास खण्ड, तहसील तथा जिला स्तर पर सतर्कता/सलाहकार समितियों का गठन भी किया गया है।

उपभोक्ताओं को मिट्टी का तेल, डीजल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पाद निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। डीजल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों में मिट्टी तेल की मिलावट जैसी अवांछनीय गतिविधियों के खिलाफ प्रशासन सतर्क है।

उपभोक्ताओं का शोषण रोकने तथा उनके हितों के संरक्षण के लिये केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत प्रदेश स्तर व जिला स्तर पर उपभोक्ता फोरमों का गठन कर व्यवस्था को और सुदृढ़, सतर्क व प्रभावकारी बनाया जा रहा है।

उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा, उपभोक्ताओं को अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को लागू करने के उद्देश्य से प्रदेश में "राज्य आयोग" का गठन किया जा चुका है तथा 10 मण्डलों के मण्डलीय मुख्यालयों पर जिला फोरम का गठन किया जा चुका है। जिला फोरम में अवकाश प्राप्त जज, उत्पादकों, विक्रेताओं, स्वयं सेवी संस्थाओं, युवा व महिला कल्याण एवं अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों का सहयोग लिया जा रहा है। उपभोक्ता संरक्षण के इस कार्यक्रम से वस्तुओं की गुणवत्ता, मूल्य नियंत्रण तथा उपभोक्ता को हानि होने पर

मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार होगा। जिला फोरम उपभोक्ताओं के एक लाख रुपये के मूल्य तक के विवादों की सुनवाई करेंगे तथा राज्य आयोग जिसका प्रधान उच्च न्यायालय के एक सेवा निवृत्त न्यायाधीश हैं, जिला फोरम के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनेंगे व 1 लाख से 10 लाख रुपये मूल्य तक के विवादों का स्वतन्त्र रूप से निपटारा करेंगे। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शिकायत / प्रार्थना-पत्र निःशुल्क प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

सहकारिता

पिछले कई वर्षों से सहकारी समितियों में चुनाव नहीं हुए थे। सहकारिता आन्दोलन के प्रति राज्य सरकार की निष्ठा व प्रतिबद्धता के फलस्वरूप वर्ष 1988–89 में प्रारम्भिक समितियों, सहकारी क्रय-विक्रय समितियों, प्राथमिक उपभोक्ता भंडारों, क्षेत्रीय सहकारी संघों एवं जिला स्तर की सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन कराकर समितियों का संचालन चुने गये प्रतिनिधियों को सौंपा गया है। इन चुनावों के फलस्वरूप सहकारिता आन्दोलन में एक बार पुनः जन-प्रतिनिधियों को सहभागी बनने का अवसर मिला है और आशा की जाती है कि इससे प्रदेश में सहकारी संस्थाओं के संचालन में और सक्रियता एवं बल प्राप्त होगा।

सहकारी समितियों के सदस्यों को वर्ष 1988–89 में अल्पकालीन ऋण के रूप में पहली बार 425 करोड़ रुपये, मध्यकालीन ऋण के रूप में 50 करोड़ रुपये एवं दीर्घकालीन ऋण के रूप में 120 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जा रहे हैं। कृषकों को उपज बढ़ाने के लिए इस वर्ष लगभग 500 करोड़ रुपये के रासायनिक उर्वरक तथा प्रमाणित बीजों का वितरण 13,000 सहकारी बिक्री केन्द्रों से किया जा रहा है। वर्ष 1989–90 में 475 करोड़ रुपये का अल्पकालीन ऋण, 60 करोड़ रुपये का मध्यकालीन ऋण तथा 140 करोड़ रुपये का दीर्घकालीन ऋण बांटे जाने का लक्ष्य रखा गया है।

कृषक सदस्यों को अधिक राहत पहुंचाने हेतु सहकारिता के क्षेत्र में एक नई चेक प्रणाली लागू कर दी गयी है जिसके अन्तर्गत भूमि के आधार पर ऋण स्वीकृत कर कृषकों को पासबुक एवं चेकबुक दे दी गयी है।

गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले निर्बल वर्ग के उत्थान हेतु मैनपुरी जनपद में परीक्षण के आधार पर 8 प्रतिशत के रियायती ब्याज दर पर मध्यकालीन ऋण उपलब्ध कराने की विशिष्ट सुविधा दी जा रही है।

हरिजन तथा समाज कल्याण

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति, जन-जाति, पिछड़ी जाति तथा विमुक्त जातियों की आर्थिक स्थिति सुधारने, उसे सुदृढ़ करने और उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिये स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत योजनायें देकर पोषित किया जाता है।

पूर्वदशम् कक्षाओं में अनुसूचित जाति के 11.74 लाख छात्रों को लाभान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मैदानी क्षेत्र के विमुक्त जाति के पूर्वदशम् छात्रों की छात्रवृत्ति से लगभग 40,000 छात्र लाभान्वित हो रहे हैं। राज्य सरकार का प्रयास है कि उक्त वर्ग के छात्रों के हितों के लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था की जाय।

सरकार का यह प्रयास रहेगा कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति हेतु भी पर्याप्त धन व्यवस्था करके भारत सरकार से अधिकाधिक सहायता प्राप्त की जाय।

अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु इस समय 42 छात्रावास संचालित हैं। इसके अतिरिक्त लड़कियों हेतु 10 छात्रावास निर्मित हो चुके हैं। विभागीय अनुदान पर 112 छात्रावास निजी संस्थाओं द्वारा संचालित हैं। इसके अतिरिक्त निजी संस्थाओं द्वारा संचालित 34 छात्रावासों को अनुदान देने का निर्णय है। भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए यह प्रयास रहेगा कि छात्रों की आवासीय समस्या का निराकरण किया जाय।

शिक्षा में अधिकाधिक प्रसार के उद्देश्य से प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के छात्रों को "तैयारी पाठ्यक्रम" के अन्तर्गत प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया है। इसके अन्तर्गत 300 छात्र, छात्राओं के लिये पाठ्यक्रम संचालित कराया जाना होगा।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान योजना के अन्तर्गत विभिन्न विकास विभागों के आयोजनागत परिव्यय में से 1,071 करोड़ रुपये की धनराशि अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिये मात्राकृत की गई है। इसके सापेक्ष्य इसी अवधि में लगभग 1,300 करोड़ रुपये का उपयोग करने का प्रयास है।

महिला कल्याण

माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि प्रदेश शासन ने महिलाओं की समस्याओं की ओर विशेष ध्यान देने और विकास कार्यक्रमों का महिलाओं को सीधा लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से महिला कल्याण विभाग की स्थापना की है। कल्याणकारी

कार्यक्रमों में महिलाओं का योगदान, उत्पादक कार्यक्रमों से महिलाओं को सम्बद्ध कर उनके जीवन स्तर को उठाने का प्रयास, सभी विभागों के विकास कार्यक्रमों में समन्वय कर महिलाओं को लाभान्वित करने का कार्य, उत्पादकता की वृद्धि के लिये तकनीकी ज्ञान तथा तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था इस विभाग द्वारा की जायेगी।

यह भी हर्ष का विषय है कि राष्ट्रीय नीति के अनुसार प्रदेश में एक महिला कल्याण निगम की स्थापना भी की गयी है। निगम ने इस वर्ष कार्य आरम्भ कर दिया है। इसमें प्रदेश सरकार ने 21 लाख रुपये की अंशपूंजी प्रदान की है तथा केन्द्र सरकार से 19 लाख रुपये की स्वीकृति भी प्राप्त हो गयी है।

ऊर्जा

माननीय सदस्यों को यह जानकर सन्तोष होगा कि वर्ष 1987-88 में किसी एक दिन का अधिकतम विद्युत् उत्पादन 42.832 मि0 यूनिट था जो 22 जनवरी, 1989 को बढ़कर 52.398 मि0 यूनिट हो गया। वर्ष 1987-88 में तापीय विद्युत् गृहों का प्लान्ट लोड फैक्टर 47.1 प्रतिशत था, जो अप्रैल से दिसम्बर, 1988 की अवधि में बढ़कर 51.8 प्रतिशत हो गया। दिसम्बर, 1988 के दौरान औसत प्लान्ट लोड फैक्टर 63.63 प्रतिशत था जबकि यह औसत ओबरा "बी" में 83.21 प्रतिशत और आनपारा "ए" में 90.74 प्रतिशत था। प्लान्ट लोड फैक्टर में सुधार होने के फलस्वरूप तेल की खपत में कमी आई। अप्रैल से नवम्बर, 1988 की अवधि में तेल की औसत खपत केवल 6.55 के0एल0/एम0यू0 थी जबकि 1987 में इसी अवधि में यह औसत 9.46 के0एल0/एम0यू0 था। अनुमान है कि इससे वर्ष के दौरान लगभग 9 करोड़ रुपये की बचत होगी।

योजना आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार अतिरिक्त अधिष्ठापित क्षमता का सृजन भी प्रगति पर है। मुझे सम्मानित सदन को यह बताते हुए हर्ष है कि रायबरेली जनपद में ऊंचाहार तापीय विद्युत् गृह की पहली इकाई चालू की जा चुकी है और शीघ्र ही वह वाणिज्यिक सेवा प्रारम्भ कर देगी। ऐसी सम्भावना है कि आगामी कुछ ही महीनों में टांडा की प्रथम दो इकाइयां (2×110 मेगावाट) और ऊंचाहार की दूसरी इकाई (210 मेगावाट) भी पूर्णरूप से कार्य करना प्रारम्भ कर देंगी।

विद्युत् की चोरी और छीजन की रोकथाम के लिये इस वर्ष कठोर कदम उठाये गये हैं। 1 अप्रैल, 1988 से 15 जनवरी, 1989 की अवधि में उ0 प्र0 राज्य विद्युत् परिषद् के सतर्कता कोष्ठक (विंग) द्वारा 33,692 छापे मारे गये, जिनमें 25,714 मामले अनियमितता के और 11,439 मामले चोरी के प्रकाश में आये जिसके

परिणामस्वरूप 20,650 विच्छेदन किये गये और 7,254 व्यक्तियों को या तो गिरफ्तार किया गया अथवा उन्हें न्यायालयों के सुपुर्द दिया गया। यह अभियान अभी चलाया जा रहा है और ऊर्जा की चोरी रोकने हेतु और प्रभावी कदम भी उठाये जायेंगे।

राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण का स्तर अभी भी कम है क्योंकि केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (सी० ई० ए०) की परिभाषा के अनुसार कुल 1.13 लाख ग्रामों में केवल 75,749 ग्रामों का विद्युतीकरण और केवल 42,975 ग्रामों में एल० टी० मेन डालकर विद्युतीकरण मार्च, 1988 तक सम्भव हो पाया है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान योजना आयोग ने 2,688 ग्रामों के विद्युतीकरण का अनुमोदन किया था परन्तु हम आशान्वित हैं कि उपलब्धि लक्ष्य से काफी अधिक होगी।

ऊर्जा उत्पादन में अब हम अच्छी स्थिति में आ गये हैं अतः हम सम्प्रेषण, वितरण और उपभोक्ता सेवाओं की ओर भी और अधिक ध्यान दे रहे हैं। बेहतर सेवायें प्रदान करने के लिये सिंगिल विन्डो सिस्टम लागू किया जा रहा है। सम्पूर्ण राज्य में बड़ी संख्या में उपभोक्ता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। कर्मचारियों और श्रमिकों की शिकायतों के निवारण हेतु तीन स्तरीय प्रणाली का भी क्रियान्वयन हो रहा है।

भारत सरकार ने टेहरी, श्रीनगर जल विद्युत् परियोजना, आनपारा "बी", ऊंचाहार विस्तार तापीय परियोजना एवं औद्योगिक महानगर कानपुर में वितरण सिस्टम में सुधार हेतु परियोजना जैसी अनेक परियोजनाओं के लिये वाह्य सहायता प्राप्त करने में हमारी बहुत मदद की है जिसके लिये हम उनके आभारी हैं।

हमने कृषकों व उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए 1988-89 में खराब विद्युत् ट्रान्सफार्मरों के प्रतिस्थापन की ओर विशेष ध्यान दिया है। जनवरी, 1989 माह तक 38 करोड़ रुपये की लागत से 20,954 ट्रान्सफार्मर क्रय किये गये व 17,269 खराब ट्रान्सफार्मरों को बदल दिया गया। शेष 1,501 खराब ट्रान्सफार्मरों के बदलने का कार्य भी शीघ्र पूरा किया जायेगा। 38 करोड़ रुपये की धनराशि में से 14.5 करोड़ रुपये राज्य सरकार ने दिया है, शेष धनराशि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से प्राप्त की गई है।

सिंचाई

वर्तमान में विभिन्न सिंचाई ससाधनों के अन्तर्गत लगभग 67,200 किलोमीटर नहर प्रणाली तथा 25,775 राजकीय नलकूपों से सिंचाई की जा रही है। वित्तीय वर्ष 1989-90 में वृहद् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर 253.00 करोड़

रुपये का व्यय प्रस्तावित है जिससे प्रदेश में 1.35 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन होगा। यह प्रयास किया जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 1989–90 में अधिक से अधिक संख्या में कार्याधीन परियोजनायें पूरी की जांय ताकि इससे अपेक्षित लाभ प्राप्त हो सके। राजकीय नलकूपों के सामान्य कार्यक्रम में 39.86 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है जिसमें से 70 प्रतिशत धनराशि अपूर्ण कार्यों को पूरा करने तथा 30 प्रतिशत व्यय नये नलकूपों के निर्माण पर किया जायगा। विश्व बैंक से पोषित राजकीय नलकूप परियोजना पर 37.00 करोड़ रुपये तथा डच सरकार के सहयोग से चालित नलकूप परियोजना पर 20.00 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है। राजकीय नलकूपों के सुव्यवस्थित संचालन, पानी के वितरण पर नियन्त्रण रखने तथा राजकीय नलकूपों पर फसल उत्पादन, कृषि प्रसार व विकास के प्रभावी कार्यक्रम चलाने के उद्देश्य से जिला एवं विकास खण्ड स्तर पर समितियां बनाई गई हैं ताकि कृषकों का अपेक्षित सहयोग इनके संचालन के सम्बन्ध में प्राप्त किया जा सके।

यह अनुभव किया गया है कि नलकूपों की बन्दी के सम्बन्ध में कई प्रकार की सूचनाएं मिलती रहती हैं, बन्द नलकूपों की तत्परता से मरम्मत कराने के उद्देश्य से तथा उनके परिचालन एवं अनुरक्षण कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु नलकूप खण्डों के उप-खण्डीय स्तर पर शिकायत सेल की स्थापना की जा रही है—जहां विभागीय कर्मचारियों के साथ-साथ कृषक भी नलकूपों की बन्दी तथा सिंचन क्षेत्र से सम्बन्धित शिकायतों की सूचना दर्ज करा सकते हैं। उक्त बन्दी का अनुश्रवण सहायक अभियन्ता द्वारा प्रतिदिन तथा अधिशासी अभियन्ता द्वारा साप्ताहिक किया जायगा।

वर्ष 1985 से भारत सरकार की सहायता से विशेष कार्यक्रम के रूप में निःशुल्क बोरिंग योजना कार्यान्वित है। मार्च, 1988 तक इस योजना के अन्तर्गत 1,86,363 लघु/सीमान्त कृषकों को लाभान्वित किया जा चुका है। वर्ष 1988–89 में जनवरी, 1989 के मासान्त तक 1,17,000 निःशुल्क बोरिंग की जा चुकी है। यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 1988–89 में यह लक्ष्य 65,000 निःशुल्क बोरिंग का रखा गया था परन्तु लघु/सीमान्त कृषकों को अधिकाधिक लाभ पहुंचाने की दृष्टि से इस लक्ष्य का पुनरीक्षण करते हुए कार्यवाही की जा रही है। इससे जनवरी, 1989 के मासान्त तक इस योजना के अन्तर्गत लगभग 6 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन किया जा चुका है।

आठवीं योजना के अन्तर्गत कानपुर व आगरा बैराज व मथुरा में गोकुल बैराज भी निर्मित किए जायेंगे।

भारी एवं मध्यम उद्योग तथा खनिज

प्रदेश के सन्तुलित, समन्वित एव त्वरित औद्योगिक विकास के लिये भारी, मध्यम, लघु, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग को राज्य सरकार द्वारा विविध प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं।

भारी एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र का पूंजी-विनियोजन में विशेष योगदान है। यह क्षेत्र औद्योगिक प्रगति के लिये केन्द्र-बिन्दु के रूप में कार्य करता है। लघु उद्योगों के लिये मार्ग प्रशस्त करने के साथ-साथ इनसे विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों का उदय होता है तथा औद्योगीकरण को बढ़ावा मिलता है।

वर्तमान में शासन द्वारा क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने के लिये पिछड़े क्षेत्रों व उद्योग-शून्य जनपदों में औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके लिये उन क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जा रहा है तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों को विशेष प्रकार की सुविधायें व सहायता दी जा रही हैं। भारत सरकार द्वारा देश में 100 नये विकास केन्द्र विकसित करने का प्रस्ताव है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को अधिक से अधिक विकास केन्द्र मिलें। प्रथम चरण में देश भर में 61 विकास केन्द्र विकसित किये जा रहे हैं, जिनमें से 6 उत्तर प्रदेश में स्थापित होंगे।

विगत कुछ वर्षों से शासन द्वारा प्रदेश के औद्योगीकरण हेतु अपनाई गयी रण-नीति तथा भारत सरकार द्वारा अनेक उद्योगों को लाइसेंसिंग प्रणाली से मुक्त कर दिये जाने से देश के बड़े उद्यमी भी इस प्रदेश में उद्योग स्थापित कर रहे हैं। कई परि-योजनायें संयुक्त व सहायतित क्षेत्र में स्थापित की जा रही हैं। छठी योजना के अन्त तक प्रदेश में 690 मध्यम व वृहद् उद्योग लगभग 3,575 करोड़ रुपये पूंजी-विनियोजन से कार्यरत थे। अक्टूबर, 1988 तक प्रदेश में इन उद्योगों की संख्या 8,544 तक पहुंच चुकी है, जिनमें 7,140 करोड़ रुपये का पूंजी विनियोजन हुआ है।

मुझे सम्मानित सदस्यों को यह बताते हुये हर्ष होता है कि बम्बई हाई से गैस प्रदेश में पहुंच चुकी है और गैस पर आधारित दो उर्वरक कारखाने जगदीशपुर (सुल्तानपुर) एवं आंवला (बरेली) उत्पादन प्रारम्भ कर चुके हैं। बबराला (बदायूं) तथा शाहजहांपुर में गैस पर आधारित दो और उर्वरक कारखाने लगाये जाने का कार्य प्रारम्भिक चरणों में है। गैस पर आधारित दो विद्युत् परियोजनाओं की स्थापना का कार्य भी विभिन्न चरणों में है।

प्रदेश में गैस की उपलब्धता से औद्योगीकरण की गति में तीव्रता आने की पूर्ण सम्भावना है। इस गैस के औद्योगिक उपयोग के लिये समन्वित योजना बनाने की कार्यवाही की जा रही है। मुझे यह बताते हुये हर्ष हो रहा है कि भारत सरकार ने औरय्या (इटावा) में गैस क्रैकर परियोजना की स्वीकृति दे दी है। इस परियोजना के उत्पादों के आधार पर प्रदेश में विभिन्न प्रकार की अन्य पेट्रोकेमिकल इकाइयां भी स्थापित हो पायेंगी। उक्त के अतिरिक्त अलीगढ़ में एरोमैटिक्स काम्पलेक्स की स्थापना की स्वीकृति भी भारत सरकार ने दे दी है जो प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति देगा।

वृहत् उद्योग क्षेत्र में जो अन्य मुख्य परियोजनाएं स्थापित करने का कार्य विभिन्न चरणों में हैं उनमें पालियस्टर फिलेमेन्ट यार्न परियोजना (इलाहाबाद), खोई पर आधारित न्यूज प्रिन्ट परियोजना (मुरादाबाद), फोटो सेन्सराइज्ड गुड्स परियोजना, निर्यात प्रधान कताई मिल (एटा) आदि उल्लेखनीय हैं।

भारत सरकार द्वारा औद्योगीकरण की गति को तीव्र करने के लिये लाइसेंसिंग प्रणाली को अधिक उदार बनाया गया है। उत्तर प्रदेश, जो कई अन्य प्रदेशों की अपेक्षा औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, में औद्योगीकरण को तीव्र गति प्रदान करने तथा उद्यमियों को प्रदेश में उद्योग लगाने हेतु आकर्षित करने के उद्देश्य से नये उद्योगों को दी जाने वाली छूटों, रियायतों व सुविधाओं को और अधिक आकर्षक बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता एवं सुविधाओं को अधिक सरलता तथा सम्बद्ध तरीके से प्रदान करने की प्रक्रिया अपनाई गयी है। इन प्रयासों के फलस्वरूप ही पिकप तथा यू0पी0एफ0सी0 ने नई इकाइयों को ऋण उपलब्ध कराने में देश में वर्ष 1987–88 में प्रथम स्थान प्राप्त किये हैं।

प्रदेश में इलेक्ट्रानिक्स के विकास के लिये वृहत् कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। सम्मानित सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि उत्तर प्रदेश देश में आज इलेक्ट्रानिक्स के सामान का दूसरा वृहत् उत्पादक है। पर्वतीय क्षेत्र में इलेक्ट्रानिक्स उद्योग की विशेष सम्भावनाओं को देखते हुये यू0 पी0 हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन द्वारा प्रभावी कार्यक्रम एवं योजनाएं बनायी जा रही हैं। यह निगम पर्वतीय क्षेत्र में औद्योगिक आस्थानों की स्थापना के साथ-साथ संयुक्त/सहायतित क्षेत्र में परियोजनाएं स्थापित करता रहा है।

सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि चाय उत्पादन करने वाले पर्वतीय जनपदों के चाय बागानों का पुनर्जीवीकरण किया जायेगा। इस हेतु भारत सरकार के 'टी बोर्ड' से भी सहयोग प्राप्त किया जा रहा है।

मध्यम स्तर की औद्योगिक इकाइयों को पूंजी निवेश प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या क समाधान हेतु जैसा मैं अभी उल्लेख कर चुका हूं, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है कि राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से एक राज्य स्तरीय "वेंचर कैपिटल फण्ड" की स्थापना की जाय जो मध्यम स्तर की औद्योगिक इकाइयों को उचित दर पर पूंजी निवेश करने में सहायता प्रदान कर सकें।

प्रदेश में विभिन्न खनिजों की खोज का कार्य योजनाबद्ध तरीके से जारी है। अब तक स्थापित भण्डारों के आधार पर प्रदेश में कुल 250 करोड़ रुपये की लागत के खनिज पर आधारित उद्योग स्थापित किये गये हैं। वर्ष 1987–88 में राज्य खनिज विकास निगम द्वारा 84.6 लाख टन खनिजों का उत्पादन किया गया। खनिज विकास निगम द्वारा बुन्देलखण्ड के हमीरपुर जनपद में ग्रेनाइट पालिशिंग परियोजना तथा राकफास्फेट की परियोजना में खनिज के शुद्धीकरण का कार्य तथा एलीमेन्टल फास्फोरस की परियोजना की स्थापना विचाराधीन है।

ग्राम एवं लघु उद्योग

नियोजित आर्थिक विकास में लघु उद्योग के महत्व को मानते हुए प्रदेश सरकार द्वारा लघु, लघुतर एवं कुटीर उद्योगों के समुचित विकास हेतु बहुत से कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं। आधुनिक लघु उद्योग सेक्टर में अधिक उत्पादकता एवं रोजगार की सम्भावनाएं हैं एवं यह तीव्र विकास सेक्टर के रूप में उभरा है। प्रदेश में सातवीं पंच-वर्षीय योजना में एक लाख लघु औद्योगिक इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना के प्रथम चार वर्षों में लगभग 75,000 नई लघु इकाइयां स्थापित हो जायेंगी। बेरोजगारी मिटाने की योजना में लघु उद्योग विकास कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण स्थान है और आठवीं योजना में 3 लाख नई लघु उद्योग इकाइयों की स्थापना का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा जायेगा। उत्तर प्रदेश वित्त निगम का लघु उद्योग क्षेत्र के वित्त पोषण में विशिष्ट भूमिका है। लघु, लघुतर एवं कुटीर उद्योग क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति में प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। पिछले वर्ष कुल वित्त पोषित इकाइयों का 96 प्रतिशत एवं वित्तीय स्वीकृतियों का लगभग 85 प्रतिशत अंश लघु उद्योग क्षेत्र में किया गया। निगम द्वारा रुग्ण लघु औद्योगिक

इकाइयों के पुनर्वास, इकाइयों के आधुनिकीकरण एवं उत्पादों में विविधता लाने के लिये विशेष सहायता प्रदान की जा रही है। विगत 3 वर्षों में निगम द्वारा 2,130 इकाइयों को पुनर्वास सहायता प्रदान की गई, जिसमें 138 करोड़ रुपये का ऋण सम्बद्ध है।

नई लघु इकाइयों की स्थापना के साथ-साथ राज्य सरकार वर्तमान इकाइयों के निरन्तर तथा स्वस्थ्य विकास को भी समान महत्व दे रही है। इन सब इकाइयों के समुचित विकास हेतु तकनीकी उच्चीकरण, आधुनिकीकरण तथा उनकी रुग्णता को दूर करने में सहायता देने के विशेष कार्यक्रम बनाये जा रहे हैं। आधुनिकीकरण एवं बीमार इकाइयों के पुनर्वासन हेतु सहायता पैकेज दिये जाने के लिये विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है। लघु औद्योगिक इकाइयों को आधुनिकीकरण सहायता देने हेतु राज्य आधुनिकीकरण निधि की स्थापना भी की जायगी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की लघु उद्योग विकास निधि से अधिकतम सहायता प्राप्त करने हेतु समुचित व्यवस्था की गयी है।

कुछ विशिष्ट उद्योगों का प्रदेश के औद्योगीकरण में विशिष्ट स्थान है—जैसे चमड़ा उद्योग, कालीन उद्योग, फाउण्ड्री उद्योग, ग्लास एवं पाट्री उद्योग, ब्रास उद्योग इत्यादि। इन उद्योगों के समुचित विकास एवं आधुनिकीकरण हेतु अलग-अलग रणनीति बनाई जा रही है। भारत सरकार एवं यू0एन0डी0पी0 की सहायता से मेरठ में स्पोर्ट्स गुड्स, फाउण्ड्री तथा फोर्जिंग उद्योग हेतु आगरा में, बल्व उद्योग हेतु देहरादून में, ग्लास उद्योग हेतु फिरोजाबाद में, इत्र उद्योग हेतु फर्रुखाबाद में तथा इलेक्ट्रानिक्स उद्योग हेतु भीमताल में विशेष विकास केन्द्रों की स्थापना की जा रही है।

प्रदेश में पूरक उद्योगों के विकास को बढ़ावा दिया जायेगा, जो कि लघु तथा वृहद् उद्योगों के बीच सम्पर्क का कार्य करेगा, इससे रोजगार में वृद्धि होगी तथा प्रदेश के पिछड़े जनपदों का विकास होगा। प्रदेश में स्थापित होने वाले वृहद् उद्योगों के सहयोग से उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा "एन्सेलरी काम्पलेक्स" स्थापित किये जायेंगे।

प्रदेश के सद्यमियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु एक वृहद् कार्यक्रम बनाया गया है। आई0डी0बी0आई0 तथा अन्य केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से लखनऊ में उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना की गयी है।

हस्तकला उद्योग अधिक संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है एवं अपनी सांस्कृतिक तथा कलात्मक धरोहर से प्रदेश के लिये गर्व का प्रतीक है। इसमें निर्यात की अधिक क्षमता विद्यमान है। हस्तकला उद्योग में प्रशिक्षण, वित्तीय

सहायता तथा विपणन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक क्राफ्ट की आवश्यकता का आंकलन करते हुए सहायता योजना बनाई जायेगी। मुरादाबाद में भारत सरकार के सहयोग से पीतल उद्योग की सहायता के लिये मेटल हैंडीक्राफ्ट सेण्टर की स्थापना की गई है। अलीगढ़ में ताला उद्योग में लगे कारीगरों के लिये ताला नगरी व आगरा के कुटीर क्षेत्र के जूता बनाने वालों के लिये चर्म नगरी की स्थापना की जायेगी। राज्य निर्यात निगम द्वारा हस्तकला वस्तुओं के विपणन के कार्यक्रम का अत्यधिक विस्तार किया जा रहा है और अगले वर्ष निगम द्वारा 20 करोड़ टर्नओवर का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश से निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु एक राज्य स्तरीय निर्यात सलाहकार समिति का गठन भी किया जायेगा।

हमारे प्रदेश की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में हथकरघा उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के बाद यह सबसे बड़ा रोजगार उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र है। प्रदेश में व्यवस्थित रूप से हथकरघा उद्योग के विकास हेतु पहली बार राज्य सरकार की ओर से हथकरघा उद्योग नीति निर्धारित एवं घोषित की गयी है। प्राथमिक समितियां सहकारिता आन्दोलन की बुनियाद हैं, अतएव इनके सुदृढ़ीकरण एवं रुग्ण समितियों के पुनर्वासन के लिये विशेष योजनायें चलाई जायेंगी। प्राथमिक बुनकर समितियों को अधोगामी एवं पूर्वगामी सुविधाएं प्रदान किये जाने के उद्देश्य से प्रदेश में क्षेत्रीय आधार पर केन्द्रीय हथकरघा सहकारी समितियों का गठन किया जायेगा।

राज्य सरकार बुनकरों को उचित मूल्य पर मजदूरी उपलब्ध कराने व सूत के दामों में स्थिरता लाने के उद्देश्य की पूर्ति के लिये कृत संकल्प है। भारत सरकार के सहयोग से 17.50 करोड़ रुपये मूल्य की रुई का आयात किया गया है जिससे घटे दर पर बने सूत का वितरण हथकरघा निगम व यूपिका के माध्यम स किया जा रहा है। जनता वस्त्र के उत्पादन में लगे हथकरघा बुनकरों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही बुनकरों को स्थिर एवं निर्धारित दर पर सूत उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में पहली बार सूत-मूल्य निर्धारण कमेटी का गठन किया गया है।

बुनकरों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। इस हेतु बुनकर बहबूदी फण्ड योजना एवं शिफ्ट फण्ड योजना व सामूहिक बीमा योजना में विस्तार किया जायेगा। छपाई कार्य में लगे छीपियों के लिये भी सामूहिक बीमा योजना चलाई जायेगी।

प्रदेश में रेशम उद्योग की सम्भावनाओं को देखते हुए इस उद्योग के विस्तार की विशेष योजना बनायी गयी है। उद्देश्य यह है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त

तक प्रदेश में रेशम धागे का उत्पादन 500 टन प्रतिवर्ष पहुंच जाये । हथकरघा क्षेत्र की रेशम धागे की पूर्ति हेतु देश के अन्य प्रदेशों से व विदेश से धागा आयात किया जायेगा।

ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के साधन उपलब्ध कराने में खादी ग्रामोद्योग क्षेत्र का विशेष स्थान है । हमारा यह उद्देश्य है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इस क्षेत्र के माध्यम से कम से कम 5 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया जायगा । इस बड़े कार्यक्रम के बनाने व संचालन में स्वयंसेवी संस्थाओं का पूर्ण सहयोग प्राप्त किया जायेगा ।

प्रत्येक जनपद के ग्रामीण औद्योगिकी सम्भाव्यता का सर्वेक्षण किया जा रहा है, जिसके आधार पर नई इकाइयों की स्थापना हेतु प्रशिक्षण, वित्त पोषण एवं विपणन का समन्वित कार्यक्रम चलाया जायेगा । प्रारम्भ में मण्डल स्तर पर व उसके बाद जनपद व ब्लाक स्तर पर ग्रामोद्योग प्रसार एवं सेवा केन्द्र की स्थापना की योजना बनायी जायेगी । भारत सरकार के केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसन्धान का एक उपकेन्द्र लखनऊ में स्थापित किया गया है, जिसके सहयोग से ग्रामीण क्षेत्र में खाद्य पदार्थों पर आधारित उद्योग स्थापित किये जायेंगे ।

चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास

समस्त उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसानों की यह प्रभावकारी मांग प्रारम्भ से रही कि गन्ने का मूल्य एक समान किया जाय । मुझे सदन को अवगत कराते हुये प्रसन्नता है कि इस दीर्घकाल से विचाराधीन मांग को मानते हुये दिनांक 1–12–88 से पूरे प्रदेश के लिये गन्ना मूल्य 30 रुपये प्रति कुन्टल निर्धारित किया गया । अच्छी प्रजातियों के लिये 34 रुपये प्रति कुन्टल तथा अन्य प्रजातियों के लिये 30 रुपये प्रति कुन्टल गन्ना मूल्य घोषित किया गया । इस गन्ना मूल्य से गत वर्ष की अपेक्षा पश्चिमी व मध्य क्षेत्रों के गन्ना किसानों को 4 रुपये तथा पूर्वी क्षेत्र के गन्ना किसानों को 4.50 रुपये प्रति कुन्टल अधिक गन्ना मूल्य मिलेगा ।

गत पेराई सत्र में 797.64 करोड़ रुपये का गन्ना खरीदा गया जिसमें से 793.10 करोड़ रुपये गन्ना मूल्य का भुगतान समय से गन्ना किसानों को कर दिया गया जो कुल गन्ना मूल्य का 99.41 प्रतिशत है । वर्तमान सत्र में चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों से 944 करोड़ रुपये का गन्ना खरीदे जाने का अनुमान है । उपरोक्त सभी तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रदेश सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये पूरी तरह से वचनबद्ध है ।

पिछले वर्ष 17.71 करोड़ रुपये की अपेक्षा इस वर्ष नाबार्ड से 65 करोड़ रुपये निवेश वित्त पोषण के रूप में गन्ना विकास कार्यक्रम के लिये प्राप्त होने का लक्ष्य है।

सहकारी क्षेत्र में 2,500 टन प्रतिदिन क्षमता की एक नई चीनी मिल स्नेह रोड (बिजनौर) में निर्माणाधीन है जिसका निर्माण कार्य 1989–90 तक पूर्ण हो जाने के पश्चात् सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों की कुल गन्ना पेराई क्षमता 45,550 टन प्रति दिन हो जायेगी। इसके अतिरिक्त सहकारी क्षेत्र में बांसगांव (गोरखपुर) तथा रूपपुर (हरदोई) में नई चीनी मिल लगाने का प्रस्ताव है। सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों जिनमें ननौता, रमाला, बेलरायां, सम्पूर्णानगर तथा बीसलपुर हैं तथा चीनी निगम की इकाई के सिसवा बाजार, डोईवाला, जरवल रोड, लक्ष्मीगंज, पिपराइच, सहारनपुर, मुण्डेरवा आदि प्रमुख हैं, की गन्ना पेराई क्षमता 2,500 टन प्रति दिन तक किये जाने हेतु आधुनिकीकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

दो नई आसवनियों, कायमगंज (फर्रुखाबाद) 60,000 लीटर एवं नानपारा (बहराइच) 30,000 लीटर का निर्माण कार्य 1988–89 में पूर्ण होने की आशा है।

देवरिया, वेतालपुरी, नवाबगंज व शाहगंज चीनी मिलों के पुनरुद्धार हेतु प्रस्तावों को भी केन्द्रीय स्वीकृति की अपेक्षा है।

इन आसवनियों से निकलने वाले उत्प्रवाह का उपयोग कर वैकल्पिक स्रोतों से ऊर्जा उत्पादित करने का संयंत्र स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है, जिसमें से मझोला (पीलीभीत) आसवनी में उत्प्रवाह के उपयोग की इकाई स्थापित की जा चुकी है।

पेराई सत्र 1988–89 में खाण्डसारी नीति को भी उदार बना दिया गया है ताकि गन्ना उत्पादकों को लाभकारी मूल्य पर गन्ने की पेराई स्थानीय रूप से सुलभ हो सके।

गन्ने की पैदावार और किस्म बदलने व उन्नत जातियों की व्यवस्था करने के लिये सेवरही, जिला देवरिया में गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान को एक अति आधुनिक शोध संस्थान के रूप में विकसित किया गया है और उक्त संस्थान व उसके सहयोगी शाहजहांपुर गन्ना शोध संस्थान गन्ने की कृषि एवं उत्पादकता की बढ़ाने में लगे हैं। मुझे यह अवगत कराते हुए हर्ष है कि उपलब्ध सूचना के अनुसार गेंदासिंह गन्ना शोध संस्थान में गन्ने की एक ऐसी नई जाति को विकसित किया गया है जिसमें सर्करा विश्व की सभी गन्ना प्रजातियों से अधिक है और जिसका ब्रिक्स 25 से अधिक है। आशा है अगले वर्षों में इस जाति की रोग अवरोध की क्षमता की पुष्टि करने के बाद बड़े पैमाने पर

कृषि के लिये उपलब्ध कराया जा सकेगा। अधिकांश चीनी मिलों ने गन्ना विकास कार्यक्रम में स्वयं भारत सरकार के शुगर डेवलपमेन्ट फण्ड से ऋण लेकर बड़े पैमाने पर कार्य शुरू किया है। सहकारी क्षेत्र की 27 मिलों को भारत सरकार से गन्ना विकास के लिये 30.00 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि पहली बार उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुयी है।

सड़कें

प्रदेश में मार्गों की लम्बाई लगातार बढ़ाई जा रही है जिसके फलस्वरूप दिनांक 1 अप्रैल, 1988 से मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में कुल मिलाकर मार्गों की लम्बाई 86,832 किलोमीटर हो गई है। नगरीय मार्गों की राइडिंग क्वालिटी में सुधार करने के उद्देश्य से 32 जनपदीय मुख्यालय तथा लखनऊ व कानपुर के महानगरों के सुधार हेतु कार्य तेजी से किया जा रहा है। 80 करोड़ रुपये की लागत से यह कार्य हाट-मिक्स प्लांट प्रणाली द्वारा सम्पन्न हो रहा है जिससे प्रदेश के लगभग 50 से अधिक जिला हेडक्वार्टर तथा प्रमुख नगरों में आधुनिक प्रकार की सड़कों का निर्माण हो जाये। प्रदेश के महानगरों में भी यह कार्य जारी है। महाकुम्भ मेले के अवसर पर इलाहाबाद व वाराणसी की मुख्य सड़कों को भी हाट-मिक्स/प्लान्ट से बना दिया गया है। विश्व बैंक की सहायता से पूर्वी उत्तर प्रदेश की चार मुख्य सड़कों—गोरखपुर-सोनाली, गोरखपुर—देवरिया—बलिया, इलाहाबाद—दोहरीघाट तथा इलाहाबाद—प्रतापगढ़-सुल्तानपुर—फैजाबाद को लगभग 250 करोड़ रुपये की लागत पर हाट-मिक्स/प्लान्ट प्रणाली से बनाया जायेगा। मुझे सन् 1985 में पहली बार विश्व बैंक के अध्यक्ष महोदय के सामने इस प्रस्ताव को रखने का अवसर मिला था। प्रदेश में गांवों को हर ऋतु योग्य मार्गों से जोड़ने हेतु 1989—90 तक 1,000 से 1,499 तक की आबादी के 62 प्रतिशत गांव तथा 1,500 से अधिक आबादी के शत-प्रतिशत गांवों को जोड़ा जाना प्रस्तावित है। ग्रामीण भूमिहीन गारन्टी रोजगार योजना के अन्तर्गत 9,944 किलोमीटर मार्ग का कार्य खड़ंजा स्तर तक स्वीकृत किया जा चुका है।

मार्च, 1988 तक स्वीकृत सेतु निर्माण कार्यों में से कुल 127 सेतुओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्ष 1988—89 में 30 सेतुओं का निर्माण/पुन-निर्माण स्वीकृत किया जा चुका है। रेलवे क्रासिंग के स्थान पर 15 उपरिगामी सेतु का निर्माण कार्य प्रगति पर है और 13 सेतुओं का निर्माण 1988—89 में पूर्ण किया जाना लक्षित है। 1989—90 में 5 अतिरिक्त उपरिगामी सेतु के निर्माण कार्य पर स्वीकृति दिये जाने पर विचार किया जा रहा है।

इस वर्ष पहली बार सेतु निर्माण कार्य में गति लाने हेतु उत्तर प्रदेश सेतु निगम को 40 करोड़ रुपये संस्थागत वित्त के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंकों से उपलब्ध कराया जा रहा है जिसके कारण उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा इस वर्ष 84 सेतुओं का निर्माण कराया जायेगा। निगम के टर्न-ओवर का लक्ष्य 72 करोड़ रुपये रखा गया है। इसके सापेक्ष गत वर्ष मात्र 42 सेतुओं का निर्माण एवं 53 करोड़ रुपये के टर्न-ओवर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। वर्ष 1989–90 के लिये निगम हेतु 90 सेतुओं का निर्माण एवं 90 करोड़ रुपये के टर्न-ओवर का लक्ष्य रखा गया है।

शिक्षा

प्रदेश में कक्षा 6 तक बालक तथा कक्षा 12 तक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। जैसा मैं अभी उल्लेख कर चुका हूं, राज्य सरकार ने अब भारतीय संविधान की मंशा के अनुरूप मिडिल स्तर पर कक्षा 7 एवं 8 के बालकों की शिक्षा निःशुल्क दिये जाने का निर्णय लिया है। इससे लगभग 20 हजार विद्यालयों के 13 लाख 77 हजार छात्रों के परिवार लाभान्वित होंगे। राज्य सरकार ने इसके लिये 5.60 करोड़ रुपया वार्षिक व्यय भार वहन करना भी स्वीकार किया है।

प्रदेश में 18 तहसीलों में कोई बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नहीं था अतः इन तहसीलों में 1989–90 में एक-एक बालिका हाई स्कूल खोलने का प्रस्ताव है।

प्रौढ़ों को साक्षर बनाने के उद्देश्य से साक्षरता मिशन का गठन किया गया है। 1988–89 में 623 जन-शिक्षण निलयम भी स्थापित किये गये हैं तथा 777 जन शिक्षण निलयम स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है।

प्रदेश के नवोदय विद्यालयों में शिक्षा पा रहे छात्रों में से एक चौथाई (27 प्रतिशत) से अधिक लड़के अनुसूचित जाति/जन-जाति के परिवारों से हैं। इसके अतिरिक्त उल्लेखनीय है कि इन विद्यालयों में पढ़ रहे लगभग 3,000 छात्रों में से दो हजार से अधिक ऐसे परिवारों से हैं जिनकी मासिक आय एक हजार रुपये से कम है।

इसके अतिरिक्त नवोदय विद्यालयों में तीसरी भाषा के रूप में उर्दू भाषा के पठन-पाठन की व्यवस्था भी विद्यमान है।

संस्कृत शिक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए संस्कृत विद्यालयों की मान्यता पर लगी रोक हटाने का निर्णय लिया गया है।

विश्वविद्यालयों की शैक्षिक, वित्तीय एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं का आकलन करने, ज्ञान एवं विज्ञान की निरन्तर बढ़ती हुई सम्भावनाओं के साथ तादात्म्य स्थापित

करने की आवश्यकता के परिपेक्ष्य में शासन को व्यवहारिक एवं सुचिन्तित परामर्श उपलब्ध कराने हेतु एक उच्च स्तरीय आयोग गठित करने का निणय लिया गया है।

शिक्षा के उन्नयन एवं विकास के लिये सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषदीय एवं शासन स सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों को शक्षिक भ्रमण पर भेज जान की योजना भी 1989–90 स प्रारम्भ की जा रही है।

खेल-कूद

1989–90 में वाराणसी में एक करोड़ रुपये की लागत से हाकी के खेल के लिये एस्ट्रोटर्फ के मैदान का निर्माण किया जायेगा। लखनऊ में सैय्यद मोदी स्मारक राष्ट्रीय बैडमिन्टन प्रतियोगिता का भी 1989–90 से हर वर्ष आयोजन करने का निर्णय लिया गया है।

वर्ष 1989–90 के अन्त तक प्रदेश के 55 जिलों में क्रीड़ांगन, 29 जिलों में बहुद्देशीय हाल तथा 14 में तरण-ताल का निर्माण हो जायेगा। वर्ष 1988–89 की भांति वर्ष 1989–90 में भी अखिल भारतीय स्तर की इन्दिरा मैराथन दौड़ जिसमें 2 लाख से अधिक के पुरस्कार दिये जायेंगे, इलाहाबाद में आयोजित की जायेगी।

प्राविधिक शिक्षा

पाठ्यक्रमों में गुणात्मक सुधार हेतु विशेष बल दिया गया है जिसके अन्तर्गत उभरती प्रोद्योगिकियों जैसे—कम्प्यूटर एप्लीकशन, इलेक्ट्रानिक्स, इन्स्ट्रूमेंटेशन का पाठ्यचर्याओं में समावेश तथा आज की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक परिवर्तन/परिवर्धन किया जा रहा है। इस संबंध में एक विशेषज्ञ समिति के गठन का भी निर्णय लिया गया है।

महिलाओं में प्राविधिक शिक्षा के प्रसार हेतु उच्च प्राथमिकता दी जा रही है जिसके अन्तर्गत महिला पालीटेक्निकों में ऐसे पाठ्यक्रम, जिनमें रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध हैं, प्रारम्भ किये जाने का प्रस्ताव है। प्रदेश के सभी मण्डलों में कम से कम एक महिला पालीटेक्निक की स्थापना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु 1989–90 में 4 महिला पालीटेक्निक खोला जाना प्रस्तावित है। सामान्य पालीटेक्निकों में भी महिलाओं की अधिक से अधिक संख्या में प्रवेश के भी प्रयास किये जा रहे हैं। साथ ही छात्राओं के लिये अधिक छात्रावासों की की व्यवस्था की जा रही है।

वर्ष 1989–90 में रुड़की विश्वविद्यालय को उत्कर्ष केन्द्र (सेन्टर आफ एक्सीलेन्स) के रूप में विकसित करने का भी हमारा प्रयास होगा।

विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी

प्रदेश में विज्ञान सम्बन्धी जागरूकता उत्पन्न करने तथा पर्यटकों के लिये आकर्षण बढ़ाने की दृष्टि से लखनऊ में सूरजकुण्ड के समीप, नक्षत्रशाला का निर्माण का कार्य प्रगति पर है। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्, कलकत्ता के सहयोग से लखनऊ में एक आंचलिक विज्ञान केन्द्र (विज्ञान संग्रहालय) की स्थापना की जा रही है, जिसे जनता के लिये मार्च, 1989 में खोल दिया जायगा। इस संग्रहालय द्वारा विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में विश्व भर में हुए निरन्तर विकास को सरलता से प्रदर्शित करने तथा नवयुवकों को विशेषकर विद्यार्थी वर्ग में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकेगी।

विज्ञान के चुने हुए क्षेत्रों यथा–औद्योगिक तथा निर्माण प्रोद्योगिकी के लिये विज्ञान एवं प्रोद्योग परिषद् में कोर ग्रुप गठित किये गये हैं।

रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन्स सेन्टर, उ0 प्र0 ने इस वर्ष प्रदेश के बीस जनपदों में विभिन्न प्रकार की परती भूमि के वर्गीकरण एवं रेखांकन का कार्य पूरा किया जिनमें गांव की सीमायें भी अंकित की हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों का जनपद स्तर पर नियोजन हेतु उपयोग किया जा सकेगा।

मौदहा बांध परियोजना एवं मंसूरी क्षेत्र की खदानों से सम्बन्धित परिस्थितिकी निर्वचन उपग्रहीय आंकड़ों के माध्यम से किया गया। सेन्टर द्वारा वायुवीय चित्रों के माध्यम से कानपुर नगर क्षेत्र की भूमि उपयोगिता एवं नगरीय संरचना के मानचित्र तैयार किये जा रहे हैं।

सेन्टर की प्रयोगशाला हेतु भवन भारतीय अन्तरिक्ष विभाग के उपग्रहीय टेली-मीट्री, ट्रेकिंग एवं कमाण्ड स्टेशन के साथ सहस्थापित हो गया है तथा उसमें अति आधुनिक कम्प्यूटर आधारित निर्वचन उपस्करों की स्थापना कर ली गई है। यह प्रयोगशाला कार्य सम्पादित करने हेतु तैयार हो गई है तथा अन्य उपकरणों से भी सुसज्जित की जा रही है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के मैदानी जनपदों में प्रति 30,000 जनसंख्या एवं पर्वतीय जनपदों में प्रति 20,000 की जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना एवं क्रमशः 5,000 एवं 3,000 की जनसंख्या पर एक उपकेन्द्र की स्थापना के लक्ष्य की शत प्रतिशत पूर्ति हेतु आगामी वर्ष 1989–90 में शेष 519 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 559 उपकेन्द्रों की स्थापना के लक्ष्य रखे गये हैं।

... ...tute of Educational
Planning and Aministration
17-B,Sri Aurbindo Marg,New Delhi-110016
DOC. No. 4684
Date 29/6/89

मस्तिष्क ज्वर की भयंकर संक्रामक बीमारी प्रदेश के लिये एक चिन्ता का विषय रही है। प्रदेश सरकार ने बड़ी सूझ-बूझ एवं सुविचारित ढंग से स्थिति का मुकाबला किया है जो कि सर्वत्र सराहना का विषय रहा है। गोरखपुर में इन्सेफ्लाइटिस, मलेरिया, फाइलेरिया तथा मच्छरों द्वारा प्रसारित अन्य घातक बीमारियों के अनुसन्धान हेतु एक रीजनल रिसर्च सेन्टर की स्थापना भारत सरकार द्वारा की जा रही है। प्रदेश सरकार के अनुरोध पर मस्तिष्क ज्वर नियंत्रण कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा विशेष राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को टेटनस से तथा एक वर्ष तक के शिशुओं को डिप्थीरिया, पोलियो, मीजल्स, टी0 बी0, काली खाँसी से बचाने हेतु वृहत् प्रतिरक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 1987–88 तक प्रदेश के 35 जनपदों में उक्त कार्यक्रम लागू किया गया था। फिलहाल 15 जनपदों में इसे 1988–89 में लागू करने का लक्ष्य है। शेष जनपदों में इसका 1989–90 में प्रसार किये जाने का प्रयास है।

प्रदेश में आयुर्वेद/यूनानी एवं होम्योपैथी पद्धति को भी यथोचित प्रोत्साहन दिया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा प्रदेश में देश का पहला होम्योपैथी ड्रग रिसर्च इन्स्टीट्यूट स्थापित किया गया है तथा इसने कार्य करना भी प्रारम्भ कर दिया है। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज भी इस वर्ष निर्मित व सुसज्जित होकर अपना सेवा कार्य प्रारम्भ कर रहा है।

आवास एवं नगर विकास

सातवीं पंचवर्षीय योजना काल में वर्ष 1987-88 तक विभिन्न आय वर्ग के लिये कुल 81,750 भवनों का निर्माण कराया जा चुका है।

अन्तर्राष्ट्रीय जल सम्पूर्ति एवं स्वच्छता दशक कार्यक्रम के अन्तर्गत 313 निकायों में निजी घरेलू शौचालयों को 83,249 सस्ते जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तित किया जा चुका है। प्रदेश के 10 जनपदों में भंगी मुक्ति योजना चलाई जा रही है। मुझे सम्मानित सदन को यह बताते हुए सन्तोष हो रहा है कि बाराबंकी व बदायूं जनपदों में यह योजना पूर्ण की जा चुकी है।

वर्ष 1988–89 में स्थानीय निकायों में और तीव्रगति से विकास करने हेतु राज्य सरकार द्वारा आठ नगर महापालिकाओं, 224 नगरपालिकाओं, 35 नोटीफाइड एरियाज एवं 418 टाउन एरियाज को 37.88 करोड़ रुपये का सड़क अनुदान प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त इन स्थानीय निकायों में सफाई उपकरण के क्रय एवम् प्रकाश

व्यवस्था के सुधार हेतु विशेष रूप से 1.97 करोड़ रुपये अनुदान स्वरूप प्रदान किया गया है ।

उत्तर प्रदेश अरबन डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट विश्व बैंक की सहायता से प्रदेश के 11 प्रमुख नगरों (कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, अलीगढ़, सहारनपुर एवं गाजियाबाद) में कार्यान्वित किया जा रहा है । इस पूरे कार्यक्रम हेतु विश्व बैंक से 309·20 करोड़ रुपये का अनुबन्ध किया गया है, जिसमें से 246.14 करोड़ रुपये इस प्रोजेक्ट पर तथा 63.06 करोड़ रुपये गंगा प्राधिकरण के कुछ अंश में व्यय करने का कार्यक्रम है । वर्ष 1988–89 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 57 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय होने का अनुमान है, जिससे नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न सुधार योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं । अगले वित्तीय वर्ष में भी इन योजनाओं को और तीव्रगति से चलाने का कार्यक्रम है, जिसमें मुख्यतः इन सभी नगरों में अन्य कार्यक्रमों के साथ तीन प्रमुख कार्यक्रमों–जलसम्पूर्ति, लो-कास्ट सेनीटेशन और यातायात सुधार पर बल दिया जायगा ।

महानगरों में मध्यम आकार के नगरों की जनसंख्या के घनत्व को नियंत्रित करने तथा छोटे एवं मध्यम ग्रामों एवं नगरों से बड़े नगरों में जाने की मानवीय प्रवृत्ति के नियंत्रण हेतु छोटे तथा मध्यम नगरों के विकास हेतु केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित संगठित विकास योजना प्रदेश के 35 नगरों में कार्यान्वित की जा रही है । इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1987–88 तक 17.72 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की जा चुकी है । इस योजना को भी तीव्रगति से चलाने के प्रयास किये जा रहे हैं । इसके अन्तर्गत आवासीय, बाणिज्यिक, मार्ग एवं चौराहा सुधार, पशु-बधशाला निर्माण एवं अन्य विकास कार्यों का कार्यान्वयन किया जा रहा है । आवासीय योजना के अन्तर्गत 4,705 भूखण्डों का विकास कार्य पूर्ण किया गया है जिसमें से 1,981 भूखण्डों का विकास आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिये किया गया है । इसी प्रकार से वाणिज्यिक परियोजना में 2,010 दुकानों का निर्माण और मार्ग सुधार में 59.82 किलोमीटर की 76 परियोजनाओं को पूर्ण किया गया है । सोलह चौराहों का विकास कार्य, सोलह पशु-बधशालाओं का निर्माण तथा 31 अन्य विकास कार्य भी इस योजना के अन्तर्गत पूर्ण किये गये हैं ।

प्रदेश के कुल 78,050 समस्याग्रस्त गांवों में से मार्च, 1988 तक 65,882 ग्रामों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई गई है । 1988–89 में 7,000 समस्याग्रस्त गांवों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है ।

हमें यह भी आशा ह कि सभी स्थानीय निकाय अपने वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने का पूर्ण प्रयास करेंगी ताकि वे अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों को और तीव्र गति से चला सकें। उनके द्वारा अतिरिक्त संसाधन अर्जित करने पर मैचिंग कन्ट्रीब्यूशन देने पर भी प्रदेश शासन विचार करेगा तथा भारत सरकार से भी अनुरोध किया जा रहा है कि स्थानीय निकायों के संसाधनों की वृद्धि में योगदान दें।

स्थानीय जनता को नागर स्वायत्त शासन में सहभागी बनाने हेतु शासन द्वारा विशेष प्रयास करके एक अन्तराल के बाद चुनाव करा लिये गये हैं। अब इन निकायों की प्रबन्ध व्यवस्था की बागडोर जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में है जिनसे हमें इन निकायों के उज्ज्वल भविष्य की आशायें हैं।

शान्ति एवं व्यवस्था

वर्ष 1988–89 उत्तर प्रदेश पुलिस के लिये चुनौतियों तथा उपलब्धियों का वर्ष रहा है। जहां एक ओर किसान आन्दोलन, साम्प्रदायिक तनाव, छात्र आन्दोलन इत्यादि अवसरों पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस अत्यधिक व्यस्त रही, वहीं लोकतांत्रिक परम्पराओं के पोषण में लोक सभा/विधान सभा उप चुनाव तथा ग्राम सभा/विकास खण्ड/जिला परिषद् एवं स्थानीय निकायों के चुनाव के अवसर पर पुलिस ने अपने उत्तरदायित्व का परिचय देते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।

महिला उत्पीड़न के मामलों को और अधिक शीघ्रता से निस्तारित करने हेतु अपराध अनुसंधान विभाग में एक विशेष महिला प्रकोष्ठ का गठन किया गया जिसका उद्देश्य न केवल महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों की विवेचना का त्वरितगति से अनुश्रवण करना है बल्कि महिला कल्याण के क्षेत्र में कार्य कर रही स्वैच्छिक संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करना भी है। 1989–90 में इस प्रकोष्ठ को और सुदृढ़ किया जायेगा ताकि ये और प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें।

अपराधियों के, विशेष तौर पर आतंकवादियों के पास न केवल नई तकनीक है अपितु आधुनिकतम शस्त्र भी उपलब्ध है। ऐसी परिस्थिति में पुलिस बल की दक्षता एवं कार्य कुशलता में वृद्धि करने के लिये यह आवश्यक है कि पुलिस व्यवस्था को और अधिक आधुनिक साधनों से सुसज्जित किया जाय तथा उसका आच्छादन भी बढ़ाया जाय। इसी उद्देश्य से वर्ष 1988–89 में 28 नये थाने और 8 पुलिस चौकियों की स्थापना की गई है। संचार व्यवस्था को बेहतर बनाने के दृष्टिकोण से 117 हल्की गाड़ियां, 12 मध्यम श्रेणी के वाहन, दो भारी गाड़ियां, 55 मोटर साइकिलें तथा 124 टेलीफोन स्वीकृत किये गये। आतंकवादी गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में जनपद

गाजियाबाद की पुलिस व्यवस्था का दिल्ली पुलिस व्यवस्था के अनुरूप सुदृढ़ीकरण किया गया है।

कारागार प्रशासन

राज्य सरकार ने कारागार प्रशासन को और अधिक सुदृढ़ एवं आधुनीकृत करने की योजना को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। इसमें 50 प्रतिशत अनुदान भारत सरकार से प्राप्त होगा। इस योजना के अन्तर्गत 25 कारागारों में वाच-टावर, सर्च लाइट, मेटल डिटेक्टर, वाकी-टाकी, इण्टरकाम दूरबीन, रायफल और कारतूस का प्राविधान इस वर्ष तथा अगले वर्ष के बजट में कराया जा रहा है। 5 केन्द्रीय कारागारों तथा 5 प्रथम श्रेणी की जिला कारागारों में परिवहन साधनों की सुविधा प्रदान की जा रही है।

होमगार्ड्स

होमगार्ड्स संगठन हमारे शान्ति व्यवस्था तंत्र की महत्वपूर्ण कड़ी है। शासन ने इनकी सक्रिय भूमिका के परिप्रेक्ष्य में वैतनिक अराजपत्रित अधिकारियों के वर्दी भत्ता/वर्दी अनुरक्षण भत्ता में काफी वृद्धि की है। होमगार्ड्स स्वयं सेवकों के परेड/प्रशिक्षण/जेब खर्च/भोजन भत्ते की दरों तथा दैनिक पारिश्रमिक की दरों में भी वृद्धि की गई है।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सुविधायें

स्वतंत्रता संग्राम के अभिनन्दनीय सेनानियों ने अपन व्यक्तिगत जीवन के बहुमूल्य समय को देश की स्वतंत्रता की बलि वेदी पर आहुति देकर हमारे उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला रखी। आज देश की स्वतंत्रता की चालीसवीं वर्षगांठ पर हम सब उनका आभार पूर्वक अभिनन्दन करते हैं। हमारा शासन इन वरिष्ठ सम्मानित नागरिकों की सेवा में सदैव तत्पर है।

राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पूरे प्रदेश में उ0 प्र0 परिवहन निगम की बसों द्वारा एक सहयात्री के साथ निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस सुविधा के फलस्वरूप प्रतिवर्ष 50,40 लाख रुपये का व्यय अनुमानित है।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कठिनाइयों का निवारण करने तथा उन्हें परिचय-पत्र प्रदान करने आदि के लिये राज्य स्तर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद् की स्थापना की गई है।

सूचना विभाग

विभाग द्वारा हिमालय-पुत्र, प्रदेश के प्रथम मुख्य मंत्री पं0 गोविन्द बल्लभ पन्त के शताब्दी समारोह कार्यक्रमों के अन्तर्गत उनके वाङ्मय पर आधारित महत्वपूर्ण संदर्भ पुस्तिका "शब्द जिन्होंने प्रेरित किया", प्रकाशित की है।

कार्मिक व प्रशासनिक सुधार

माननीय सदस्यगण अवगत हैं कि राज्य सरकार ने लोक सेवा आयोग के बढ़े हुए काय को दृष्टिगत करते हुए समूह 'ग' के कर्मचारियों के चयन का कार्य सम्पादित करने के लिये अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की स्थापना के निर्णय की घोषणा की थी। मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि इस बोर्ड ने विधिवत् अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है।

राज्याधीन सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने हेतु विभागो म स्क्रीनिंग की कार्यवाही को प्रभावी रूप से सम्पादित किये जाने के उद्देश्य से प्रत्येक विभाग के लिये समयबद्ध कार्यक्रम (कैलेण्डर) निश्चित किया गया है।

दहेज सम्बन्धी मृत्यु के मामले से सरकारी सेवकों की सम्बद्धता की स्थिति म उन्हें तत्काल निलम्बित किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

प्रदेश सरकार राजकीय सेवा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की भर्ती विनिर्दिष्ट प्रतिशत के आधार पर सुनिश्चित करने क लिये प्रतिबद्ध है। इसी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिये हम लोक आयुक्त को समुचित अधिकार देने के लिये उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 में संशोधन करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं।

प्रशासन को जन आकांक्षाओं के अनुरूप संवेदनशील और गतिशील बनाये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

शासन ने संवेदनशील प्रशासन पर दिनांक 14-16 जनवरी, 1988 को गोरखपुर में प्रदेश के जिलाधिकारियों की एक कार्यशाला आयोजित की जिसमें माननीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने स्वयं भाग लिया और विशेष रुचि ली। उनकी प्रेरणादायक उपस्थिति के फलस्वरूप इस कार्यशाला में दूरगामी प्रशासनिक संस्तुतियां की गई। इस कार्यशाला की संस्तुतियों पर जिला स्तर पर विभिन्न विभागों की लगभग 66

समितियों को कम करके उनकी संख्या 22 कर दी गई । आशा है कि इससे जिलाधिकारी के स्तर पर समन्वय में सुधार होगा और यह समितियां अधिक प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सकेंगी ।

जिला स्तरीय प्रशासन आयोग द्वारा प्रशासन में सुधार हेतु जो संस्तुतियां की गई थीं, उनमें से अभी 246 संस्तुतियों पर शासन ने निर्णय ले लिया है । शेष संस्तुतियां भी कार्यान्वयन की प्रक्रिया में हैं ।

गम्भीर प्रकृति की लोक शिकायतों के तत्परता से निस्तारण तथा उनके सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्ष 1989–90 में शासन स्तर पर लोक शिकायत प्रभाग की स्थापना का भी प्रस्ताव है । इससे जनता की शिकायतों पर तत्परता से कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी ।

महाकुम्भ

144 व 72 वर्षों के बाद एक विशेष मुहूर्त के कारण इस वर्ष का महाकुम्भ हमारे सांस्कृतिक इतिहास में एक विशेष महत्व रखता है । यह मेला इस शताब्दी का भारत का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जहां लाखों की संख्या में देश-विदेश के विभिन्न स्थानों से श्रद्धालु पवित्र भाव अपने हृदय में संजोये एकत्र हो रहे हैं । उन्हें निर्विघ्न एवं निरापद स्नान कराकर सुरक्षित रूप से उनके गन्तव्य के लिये प्रस्थान कराना प्रशासन के लिये एक अभूतपूर्व चुनौती है । अतएव इस बार सबसे व्यापक प्रबन्ध लगभग 50 करोड़ रुपये की लागत से किये गये हैं । रोशनी, पानी, चिकित्सा, उपभोक्ता सामग्री, सफाई, यातायात आदि की समुचित व्यवस्था मेला नगरी में की गयी है । नियमित पुलिस प्रबन्ध के अतिरिक्त यातायात व्यवस्था तथा अपराध नियंत्रण पर सूक्ष्म सतर्कता हेतु मेला नगर क्षेत्र, इलाहाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर 20 क्लोज सर्किट टी0 वी0 सेटों की व्यवस्था की गयी है । दूर-संचार व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु हाई–फ्रीक्वेन्सी लिंक, डेडीकेटेड हाटलाइन, टेलीप्रिन्टर लिंक, स्पीच सेक्रेसी, रेडियो पेजिंग उपकरण, मल्टी चैनाल टेप रिकार्डर आदि संचार व्यवस्थाओं का प्रबन्ध किया गया है ।

भगवत् अनुकम्पा व सभी के सहयोग से अब तक 3 मुख्य स्नान सम्पन्न हो चुके हैं । इसमें सभी सन्तो-महन्तों, अखाड़ों,, मेला वासियों, यात्रियों एवं निरन्तर कार्य कर रहे हजारों कर्मचारियों एवं फौज के लोगों को उनके सहयोग के लिये अनेकानेक धन्यवाद देता हूं तथा आग्रह करता हूं कि वो पूरी मेला अवधि तक मनोयोग से जुटे रहें ।

पेन्शनरों को सुविधायें

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कल्याण तथा उनके हितों के संरक्षण को शासन पूरा महत्व दे रहा है।

विशेष जोखिम के फलस्वरूप शत प्रतिशत अक्षम हो जाने वाले कर्मचारियों को वही असाधारण पेंशन दी जायेगी जो कर्तव्यपालन के दौरान मृत्यु हो जाने की दशा में देय होती। कर्तव्यपालन के दौरान गम्भीर रूप से घायल हो जाने वाले कर्मचारियों को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता देय होगी।

राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सरकारी कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति के उपरान्त पुनर्योजित किये जाने पर उनके वेतन निर्धारण में अन्तिम आहरित वेतन में से अब ग्रेच्युटी के पेन्शन समतुल्य के बराबर धनराशि नहीं घटाई जायेगी। यह व्यवस्था 25 नवम्बर, 1988 से लागू कर दी गई है।

अब यह निर्णय लिया जा रहा है कि सम्बन्धित विधवा को अनन्तिम पारिवारिक पेंशन के अतिरिक्त अनन्तिम मृत्यु ग्रेच्युटी की धनराशि का भी भुगतान तत्काल कर दिया जाय।

दिवंगत राजकीय कर्मचारियों के आश्रितों को उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि से दिये जा रहे अनुदान की वर्तमान दरों तथा अनुमन्यता की शर्तों को उदार बनाने पर भी राज्य सरकार विचार कर रही है।

विभिन्न विभागों के सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन प्राधिकार-पत्र निर्गत करने हेतु एक पेंशन निदेशालय की स्थापना अक्टूबर, 1988 से की जा चुकी है तथा पेन्शनर्स की समस्याओं के निराकरण के लिये निदेशालय को नोडल इकाई बनाया गया है। पेन्शनरों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु राज्य मंत्री, वित्त की अध्यक्षता में एक पेन्शनर्स सलाहकार समिति का भी गठन किया जा चुका है।

माननीय सदन को यह सूचित करते हुए भी मुझे हर्ष है कि राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शिक्षण और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, जिन्हें राज्य कर्मचारियों के समान पेन्शन की सुविधा अनुमन्य है, को पेन्शन की राशिकरण की सुविधा प्रदान करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं। इन कर्मचारियों के बारे में एक महत्वपूर्ण निर्णय यह भी लिया गया है कि भविष्य में जब भी राज्य कर्मचारियों की पेन्शन में परिवर्तन/परिवर्धन अथवा राहत के आदेश जारी किये जायें, उन्हीं के साथ ही इन कर्मचारियों के सम्बन्ध में भी आदेश जारी कर दिये जायें।

शासकीय तथा अन्य कर्मचारियों को सुविधायें

राज्य सरकार ने राजकीय कर्मचारियों (अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को छोड़कर) सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारी (जिनका वेतनमान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सस्तुतियों पर आधारित नहीं होता है), स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतनमानों तथा भत्तों/सुविधाओं के पुनरीक्षण हेतु वर्ष 1987 में "वेतन समिति उत्तर प्रदेश" का गठन किया था। वेतन समिति की संस्तुतियों की प्रत्याशा में इसके पूर्व कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता की तीन किस्तें स्वीकृत की गई थीं। वेतन समिति (1987) की संस्तुतियां कतिपय संशोधनों के साथ लागू करने का निर्णय अगस्त, 1988 में लिया गया था, बाद को कर्मचारियों की अभिलाषा एवं आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने कर्मचारियों की इस मांग को स्वीकार किया है कि राजकीय कर्मचारियों को उनके समकक्ष पदों पर जो केन्द्र सरकार में विद्यमान हैं, केन्द्र के समान वेतनमान दिया जाय। इस संदर्भ में केन्द्र तथा राज्य सरकार, दोनों में विद्यमान पदों का तुलनात्मक अध्ययन कर युक्तिसंगत संस्तुति करने हेतु राज्य सरकार द्वारा एक "समता समिति" का गठन किया गया है। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के विभिन्न वर्गों के शिक्षकों व प्राइमरी अध्यापकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण के लिये एक "वेतन पुनरीक्षण समिति" भी गठित की गई है जो उनके वेतनमानों में सुधार के विषय में संस्तुतियां देगी।

राजकीय कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों तथा स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में वेतन समिति (1987) की संस्तुतियों, राज्य सरकार द्वारा दी गई तीन अन्तरिम सहायता तथा समता समिति/वेतन पुनरीक्षण समिति की संस्तुतियां जो अभी आनी हैं, उन सब के लागू होने पर अनुमान है कि राज्य सरकार पर लगभग 910 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक व्यय-भार पड़ेगा।

राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों की भवन निर्माण अग्रिम की योजना को और अधिक उदार बनाते हुए अनुमन्य अग्रिम की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये कर दी गई है। सरकारी कर्मचारियों, सरकारी निगमों एवं उपक्रमों के कर्मचारियों को आवास हेतु ऋण की सुविधा आवास विकास एवं वित्त निगम से दिलाये जाने का प्रकरण भी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

राज्य सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय यह भी लिया गया है कि मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता अन्य भत्तों की दरों में समय-समय पर जो परिवर्तन और परिवर्धन के आदेश राज्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में जारी हो उन्हीं के साथ राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शिक्षण और शिक्षणेतर कर्मचारी, जिन्हें राज्य कर्मचारियों की भांति उक्त भत्ते अनुमन्य हैं, के भी आदेश जारी कर दिये जायें।

शासन की नीतियों, संकल्पों और कार्यक्रमों के कार्यान्वियन में राजकीय कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पिछले कुछ महीनों में विभिन्न उदार निर्णयों द्वारा शासन का यह दृष्टिकोण सभी को स्पष्ट हो चुका है, जहां शासन कर्मचारियों के हित संरक्षण के लिये नीतिबद्ध है वहीं शासकीय कर्मचारी समुदाय से भी यह अपेक्षा है कि वे अब उनकी बुनियादी मांग पूरी होने पर पूरे मनोबल, उत्साह व समर्पणयुक्त लोकसेवा भाव से अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को सम्पादित करें। लोक सेवा के आदर्श को गोस्वामी तुलसीदास ने इन शब्दों में उजागर किया है:—

"परहित बस जिनके मनमाहीं।
तिनकह जग दुर्लभ कुछ नाहीं॥"

राष्ट्र निर्माण के इस दौर में हम सबके लिये यह उद्बोधन प्रेरणा का स्रोत होना चाहिये। जनसेवा श्रेष्ठ साधना, प्रार्थना और इबादत है।

नवम् वित्त आयोग

भारत के संविधान की धारा 280 के अन्तर्गत हर 5 वर्ष की अवधि में एक वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है जो राज्य सरकार की वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय करों के विभाज्य अंश व उस अंश में से राज्य सरकारों को संक्रामित की जाने वाली धनराशि का निर्धारण करता है। उपरोक्त उद्देश्य से नवम् वित्त आयोग का गठन जून, 1987 में किया गया था, इसे अपनी संस्तुतियां 6 वर्ष की अवधि (1989–95) के लिये भाग–1 में 1989–90 के लिये तथा भाग–2 में 1990–95 की अवधि के लिये देनी है। नवम् वित्त आयोग ने अपनी संस्तुतियां भाग–1 के अन्तर्गत 1989–90 के लिये भारत सरकार को प्रस्तुत कर दी है जिसे भारत सरकार ने कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया है।

नवम् वित्त आयोग ने प्रदेश सरकार के साथ गत दिसम्बर में विस्तृत विचार-विमर्श किया है। हम उनके आभारी हैं कि लखनऊ पधार कर सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस विचार-विमर्श में विकास कार्यक्रमों तथा वित्तीय संसाधनों की पृष्ठभूमि में प्रदेश

की समस्याओं को रुचिपूर्वक सुना । हमें पूर्ण आशा है कि नवम् वित्त आयोग अपने द्वितीय भाग की रिपोर्ट में जो 1990–95 की अवधि के लिये होगी, हमारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त वित्तीय संक्रमण की संस्तुति करेगा ताकि हम उनके माध्यम से उपलब्ध होने वाले संसाधनों से प्रदेश के विकास को गति प्रदान कर सकें ।

संस्थागत वित्त

राज्य सरकार के अधीन सीमित वित्तीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में हमारा यह दृढ़ प्रयत्न रहा है कि विकास योजनाओं के लिये प्रदेश में अधिक से अधिक संस्थागत वित्त का उपभोग किया जाये । इस दृष्टि से संस्थागत वित्त का महत्वपूर्ण स्थान है । वर्ष 1987–88 में 2,446.71 करोड़ रुपये की योजनाओं की स्वीकृति राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं अन्य वित्तीय संसाधनों द्वारा दी गई थी । वर्ष 1988–89 में 2,500 करोड़ रुपये संस्थागत वित्त के माध्यम से जुटाये जाने का लक्ष्य है । इसके समक्ष दिसम्बर, 1988 तक 1,820.04 करोड़ रुपये की योजनाए स्वीकृत की जा चुकी हैं । इनमें कृषि, ग्रामीण विकास/हरिजन एवं निर्बल वर्ग तथा उद्योग क्षेत्र में क्रमशः 462.87, 392.25 एवं 434.76 करोड़ रुपये के कार्यक्रम की योजनाए हैं । व्यवसायिक बैंकों के माध्यम से वर्ष 1989–90 में फसली ऋण कार्यक्रम का लक्ष्य वर्तमान वर्ष का दुगुना करते हुए 400 करोड़ रुपये निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव है । आर्थिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास एवं निर्बल वर्ग को सुविधापूर्वक ऋण उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से 2 अक्तूबर, 1988 से बैंक सेवा शिविरों का आयोजन प्रारम्भ किया गया । प्राप्त सूचना के अनुसार अभी तक आयोजित सेवा शिविर में 64,223 लाभार्थियों को 19.87 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया ।

विशिष्ट कार्यक्रमों के लिये व्यवसायिक बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से पिछले 6 माह में लगभग 200 करोड़ रुपये की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं । ग्रामीण क्षेत्र में निर्बल वर्ग आवास के लिये 40 करोड़ रुपये, पुल निर्माण के लिये 40 करोड़ रुपये, राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा शहरी क्षेत्र में विद्युत् आपूर्ति हेतु 71 करोड़ रुपये तथा संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इन्स्टीट्यूट की 52 करोड़ रुपये की योजना प्रमुख है । हाउसिंग डेवलपमेन्ट फाइनेन्स कारपोरेशन ने प्रदेश सरकार को आश्वस्त किया है कि वह उत्तर प्रदेश में प्रमुख भूमिका निभायेगा । उनके भविष्य के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारी तथा निगमों के कर्मचारियों के आवास हेतु ऋण देने की अतिरिक्त सुविधा एवं ग्रामीण क्षेत्र में आवास ऋण उपलब्ध कराने के लिये ग्रामीण आवास ऋण संगठन बनाये जाने के कार्यक्रम महत्वपूर्ण हैं ।

प्रदेश के ऋण जमा अनुपात को राष्ट्रीय औसत तक पहुंचाने के लिये तथा प्रमुख व्यवसायिक बैंक के अध्यक्षों तथा रिजर्व बैंक के गवर्नर के साथ विचार विमर्श के पश्चात् 2 वर्ष का समयबद्ध कार्यक्रम अपनाया गया है जिससे कि ऋण जमा अनुपात्र 50 प्रतिशत हो सकेगा जिसके फलस्वरूप 1,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन प्रदेश को उपलब्ध होने का अनुमान है । आशा है कि इस प्रकार 1990-91 तक संस्थागत वित्त एवं बैंकों द्वारा विनियोजन 3,500 करोड़ रुपये तक पहुंच जायेगा ।

वित्तीय प्रबन्ध

कुशल वित्तीय प्रबन्ध द्वारा हमने प्रदेश के विकास कार्यक्रमों के वित्त पोषण तथा प्रदेश के वित्तीय संसाधनों के बीच संतुलन बनाये रखने की चुनौती का सफलता-पूर्वक सामना किया है । वर्तमान परिस्थितियों में जहां एक ओर हमारे सामने विभिन्न विकास कार्यक्रमों को वित्त पोषित करने का प्रश्न था वहीं हमें यह भी देखना था कि वित्तीय संसाधनों को इस प्रकार निवेशित किया जाय कि लगाई गई पूंजी से हमें अधिक से अधिक लाभ मिले । हमने विकास कार्यक्रमों के लिये यथा-वांछित धनराशियां जो माननीय सदन द्वारा पूर्व में स्वीकृत की गयी थीं, उपलब्ध करायीं । प्रतिकूल परिस्थितियों के होते हुए भी भारत सरकार तथा सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा विनिर्दिष्ट वित्तीय अनुशासन हमने बनाये रखा । बेहतर वित्तीय प्रबन्ध द्वारा आज हमारी अर्थोपाय स्थिति बेहतर है । सरकार के खर्चों में मितव्ययिता करके और प्रदेश के विकास कार्यक्रमों के लिये प्रचुर मात्रा में संस्थागत वित्त का उपयोग करके हमने प्रदेश में निवेशित पूंजी में वृद्धि की । अपरिहार्य व्यय को रोकने के लिये जो फैसले लिये गये उनका प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वयन कराया गया ।

वर्ष 1989–90 की प्रदेश की 2,970 करोड़ रुपये की योजना का पूरा वित्त पोषण करने के लिये हम दृढ़ संकल्प हैं । हमारा विश्वास है कि बेहतर कर-प्रशासन, बेहतर बकाया वसूली, नये व्यवहारिक उपायों तथा विकास के कार्यक्रमों के लिये राष्ट्रीय बचत के माध्यम से पर्याप्त वित्तीय संसाधन जुटा कर हम प्रदेश में विकास कार्यक्रमों में उत्तरोतर प्रसार व गति लायेंगे । आपको यह जानकर हर्ष होगा कि 1988–89 की योजना के वित्त पोषण के लिये राष्ट्रीय बचत की शुद्ध प्राप्ति के समक्ष भारत सरकार से प्राप्त ऋण का लक्ष्य 600 करोड़ रुपये हमने सभी के सहयोग से प्राप्त कर लिया है । राष्ट्रीय बचत आन्दोलन को व्यापक जनाधार प्रदान करने तथा इस हेतु जनता तथा पंचायतीराज संस्थाओं का व्यापक सहयोग जुटाने के लिये हमने व्यापक प्रोत्साहन दिये हैं। प्रदेश के प्रत्येक जनपद की ऐसी सर्वोत्तम ग्राम सभा को, जिसके क्षेत्र में सबसे अधिक धनराशि राष्ट्रीय बचत में जमा की जाये और जिसके अधीन

सभी परिवार राष्ट्रीय बचत योजना में सदस्य हों, बीस हजार रुपये का पुरस्कार दिया जायेगा, साथ ही ऐसी ग्राम सभाओं में जो ग्राम सभा प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ हों उसे एक लाख रुपये देकर पुरस्कृत किया जायेगा । हमें आशा है कि इससे प्रदेश में विकास कार्यक्रमों में वित्त पोषण के लिये जन-जागृति तथा वित्तीय संसाधन जुटाने का एक नया वातावरण बनेगा और हम योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकेंगे ।

मितव्ययिता, कार्यकुशलता तथा बजट साहित्य को अधिक उपयोगी बनाने की दृष्टि से बजट साहित्य के खण्ड–7 को और अधिक तर्क संगत बनाकर उसे अब वर्ष 1989–90 के बजट साहित्य के खण्ड–2 के अंश के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है ।

आय-व्ययक अनुमान 1989–90

अब मैं वित्तीय वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक अनुमानों के बारे में चर्चा करना चाहूंगा । प्रस्तुत आय-व्ययक के अनुसार राजस्व व पूंजी लेखों को मिलाकर कुल प्राप्तियों का अनुमान 9,635.03 करोड़ रुपये है । राजस्व प्राप्तियों की 6,160.00 करोड़ रुपये की राशि में 2,009.82 करोड़ रुपये केन्द्रीय करों में राज्य सरकार का अंश, 1,195.33 करोड़ रुपये भारत सरकार से प्राप्य अनुदान, 2,209.01 करोड़ रुपये राज्य सरकार का कर राजस्व तथा 745.84 करोड़ रुपये का करेतर राजस्व सम्मिलित है । पूंजी लेखे की 3,475.03 करोड़ रुपये की अनुमानित प्राप्तियों में 3,427.96 करोड़ रुपये की ऋणों से प्राप्तियां तथा 47.07 करोड़ रुपये की राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां सम्मिलित हैं ।

वित्तीय वर्ष में राजस्व व्यय 8,641.89 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जिसमें केन्द्रीय आयोजनागत तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें सम्मिलित करते हुए 1,993.05 करोड़ रुपये आयोजनागत मदों के लिये तथा 6,648.84 करोड़ रुपये आयोजनेतर मदों के लिये हैं । पूंजीगत व्यय, राज्य सरकार द्वारा लिये गये ऋणों की वापसी और ऋणों और अग्रिमों के संवितरण सम्मिलित करते हुए पूंजी लेखे का कुल व्यय 2,864.45 करोड़ रुपये होने का अनुमान है । इसमें 1,268.76 करोड़ रुपये की राशि केन्द्रीय योजनाओं और केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं को सम्मिलित करते हुए आयोजनागत मदों तथा 1,595.69 करोड़ रुपये आयोजनेतर मदों के लिये है । इस प्रकार राजस्व और पूंजीगत लेखे में कुल 11,506.34 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है जिसके कारण समेकित निधि के अन्तर्गत 1,871.31 करोड़ रुपये का घाटा सम्भावित है ।

लोक लेखा के अन्तर्गत 1,813.53 करोड़ रुपये की अनुमानित शुद्ध प्राप्तियों को हिसाब में लेकर आय-व्ययक वर्ष के समस्त लेन-देनों के परिणामस्वरूप कुल मिलाकर 57.78 करोड़ रुपये का घाटा होने का अनुमान है ।

इस घाटे की पूर्ति हम चालू टैक्स ढांचे का प्रभावकारी उपयोग कर तथा जनता के सहयोग से टैक्स प्रशासन को चुस्त, सरल व करापवंचन के विरुद्ध दृढ़तापूर्वक कदम उठाकर तथा समीचीनीकरण द्वारा करेंगे । इस सन्दर्भ में मैं इस बजट के माध्यम से कोई नया टैक्स प्रस्तावित नहीं कर रहा हूं । आयोजनेतर व्यय में अधिकाधिक मितव्ययिता एवं सरकारी देयों की वसूली जन-सहयोग से प्रभावी तौर से करने का भी सरकार प्रयास कर रही है । इन प्रयासों से भी अनुमानित घाटे की पूर्ति होने की सम्भावना है ।

माननीय सदस्य अवगत हैं कि हमने कर-राजस्व में आवश्यक वृद्धि सुनिश्चित करने तथा कर-दाताओं को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से चालू वित्तीय वर्ष में प्रक्रियाओं का सरलीकरण तथा उन्हें युक्तिसंगत बनाने का निर्णय लिया । करदाताओं को सुविधा देने हेतु ऐसी योजनायें भी लागू कराई जा रही हैं कि जिससे सम्बन्धित श्रेणियों के व्यापारी देय टैक्स एक मुश्त जमा कर सकेंगे । इस सरलीकरण से करदाताओं द्वारा कई प्रकार के निर्धारित अभिलेखों के रख-रखाव की संख्या में कमी होगी और करापवंचन की प्रवृत्ति को भी रोका जा सकेगा । इस तरह की योजनायें ईंट निर्माताओं तथा खाण्डसारी निर्माताओं के लिये लागू की जा रही हैं । यह भी व्यवस्था की जा रही है कि 1 अप्रैल, 1989 से व्यापारी अब देय टैक्स स्टेट बैंक के अलावा अन्य बैंकों में भी जमा कर सकें । इस प्रकार अब विभिन्न बैंकों की लगभग 3,800 शाखायें बिक्री कर को जमा कर सकेंगी । इस व्यवस्था से निश्चय ही व्यापारियों को सुविधा होगी । मनोरंजन कर की दरों को और युक्ति-संगत बनाया जायगा । शीरे पर आधारित उद्योग को प्रोत्साहन प्रदान करने तथा औद्योगिक अल्कोहल की खपत एवं निर्यात को बढ़ावा देने हेतु आबकारी तथा निर्यात शुल्क की दरों को युक्तिसंगत बनाया गया है ।

वित्तीय संसाधनों के अनुकूलतम् उपयोग के परिप्रेक्ष्य में जीरोबेस बजटिंग प्रणाली के अन्तर्गत शासकीय कार्यक्रमों तथा कार्य-कलापों की समीक्षा विभिन्न विभागों में की जा रही है । कृषि सेक्टर में कतिपय अनुपयोगी योजनाओं को समाप्त किया गया था तथा कतिपय अन्य उपयोगी योजनाओं में समायोजन किया गया । इसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में उपलब्ध हुए अधिकारी/कर्मचारी अन्य विकास कार्यक्रमों/योजनाओं में समायोजित किये गये । इसी प्रकार भूमि संरक्षण योजनाओं में भी कार्यभार के पुनरीक्षण के पश्चात् लगभग 1,500 नये पदों के सृजन की

आवश्यकता को वर्तमान उपलब्ध कार्मिकों के समायोजन से ही पूरा किया गया। शिक्षा विभाग में भी इसी प्रकार समायोजन के द्वारा कतिपय नये पदों को भरा गया।

भविष्य की महायात्रा

विकास की अनन्त महायात्रा में उत्तर प्रदेश को निरन्तर अग्रसर करने के लिये आप सभी सम्मानित सदस्यों ने जो गतिशील योगदान पिछले वर्षों में दिया है, उसके लिये मैं आप सभी का अत्यन्त आभारी हूं। भविष्य के विकास पथ पर एक चमकते हुए मील के पत्थर की तरह व सभी दलों व सदस्यों की संजोयी हुई विकासोन्मुख आकांक्षाओं के प्रारूप की तरह यह बजट आप सबका आशीर्वाद प्राप्त कर सकेगा, ऐसा मुझे भरोसा है।

मंत्रि-परिषद् के सभी सहयोगियों का मैं अत्यन्त आभारी हूं कि उनके सहयोग और परामर्श से तथा सभी विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता से बजट समय से प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूं। वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी मुझे बजट बनाने के काम में जो सहयोग दिया है उसके लिये मैं अपना आभार प्रकट करता हूं। राजकीय मुद्रणालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बजट साहित्य का मुद्रण समय से किया है। महालेखाकार, उत्तर प्रदेश एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी मैं उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिये आभार प्रकट करता हूं।

उत्तर प्रदेश जैसे विशाल एवं गतिशील प्रदेश का विकास किसी एक व्यक्ति, वर्ग अथवा संगठन द्वारा मात्र अपनी ही शक्ति या सामर्थ्य पर नहीं किया जा सकता। विकास की तमाम मंजिले हम तभी तय कर पायेंगे जब सभी लोग मिलकर साथ चलें। अतः विकास के इस सनातन महायज्ञ में सभी का सहयोग अपेक्षित है, विशेषकर जन प्रतिनिधियों का, जिन्होंने अपने-अपने सन्दर्भों में जन-मानस की सेवा में अपने बहुमूल्य क्षणों को लगाकर प्रदेश में विकास व प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है, इसमें पक्ष एवं विपक्ष का प्रश्न नहीं है। प्रश्न है प्रदेश की उन्नति, प्रगति और खुशहाली का, और इस युग प्रश्न का उत्तर हम सभी को सामूहिक रूप से देना है। हमें विश्वास है कि आपका सहयोग हमें बराबर मिलता रहेगा।

आओ मिलकर इन्कलाबे ताज़ा नौ पैदा करें।
दहर पर इस तरह छा जायें कि सब देखा करें।।

इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं विनम्रतापूर्वक वर्ष 1989–90 का बजट प्रस्तुत करता हूं।

25 माघ, शक सम्वत् 1910
तद्नुसार
14 फरवरी, 1989

NIEPA DC
D04684

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Amiristration
17-B, Sri Aurbindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. 4684
Date 29/6/89